


लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 6 दिसम्बर 96

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
6 दिसम्बर, 1996 में विचारणीय विषयों
की कार्य-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.8.96 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.8.96 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	05
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।	08
	<u>नीति विषयक प्रस्ताव:</u>	
4.	अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फुलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्रोजेक्ट पर विचार।	15
5.	प्राधिकरण की ऐसी सम्पत्तियाँ जिनको प्रयास करने के बावजूद आरक्षित § रिजर्व § कीमत पर निस्तारित नहीं किया जा सका उसके सम्बन्ध में कीमतों को स्थिर § फ्रीज § किये जाने पर विचार।	28
6.	प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में लीज भूमि को फ्री-होल्ड में बदलने के लिये निर्धारित मूल्य के 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।	42
7.	विकास प्राधिकरण के नियमों में जिन विषयों पर कोई प्राविधान नहीं है, उन पर नेशनल बिल्डिंग कोड उस सीमा तक लागू किये जाने पर विचार कि उसके कोई प्राविधान विकास प्राधिकरण के किसी प्राविधान के विपरीत नहीं होंगे।	47
8.	प्राधिकरण की कालोनियों में सफ़ाई व्यवस्था के लिये सफ़ाई सरचार्ज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	48
9.	बड़े भूखण्डों के मूल निर्धारण में इस समस्या को देखते हुए कि काफ़ी क्षेत्र सड़क व अन्य सुविधाओं में निकल जाता है जबकि मूल्य पूरी भूमि पर निर्धारित किया जाता है अतः 1000 वर्गमीटर से बड़े नजूल भूखण्ड का प्राधिकरण को हस्तान्तरण होने पर उसे बल्क भूमि मानकर 50 प्रतिशत धनराशि शासन को और 50 प्रतिशत स्थल से जुड़े विकास कार्यों पर व्यय के लिये प्राधिकरण को दिये जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार।	50

प्राधिकरण के कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रस्ताव:

10. श्री सँजय सवसेना, अवर वर्ग सहायक, ल.वि.प्रा. के पुत्र मास्टर शंशोक सवसेना के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव। 51
11. श्री पुलकेशन कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, ल.वि.प्रा. के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव। 55

परिचालन से पारित प्रस्ताव- पुष्प हेतु भू-उपयोग परिवर्तन

12. श्रीमती बृज किशोरी मुल्ला को भूखण्ड संख्या:126/31, वी.एन.रोड पर होटल की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार। 59

भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित:

13. खसरा संख्या: 1056, 1059 निराला नगर, आई.टी.चौराहा के आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार। 61

भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की स्थिति:

14. सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की स्थिति की सूचना पर विचार। 63

हरदोई रोड योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव:

15. हरदोई रोड योजना में ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स/प्रमोटर्स को भी निविदा देने की शर्त रखने पर विचार जो कुल 50.00 करोड़ की लागत का कार्य कर चुके हों या 50 एकड़ भूमि विकसित कर चुके हों। 65

पत्रकारों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

16. गोमती नगर योजना के अर्न्तगत विराज खण्ड में पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 66

सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव:

17. सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत अम्बेदकर नगर योजना का लगभग 586 एकड़ भूमि का कब्जा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में। 68

18. अवध अपार्टमेंट हेतु आर्किटेक्ट के चयन के सम्बन्ध में। 73

स्थान परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव:

19. विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अर्न्तगत परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव। 79

दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफी से सम्बन्धित प्रस्ताव:

20. दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव। 83
अन्य छूट प्रदान किये जाने से सम्बन्धित:
21. श्री देवराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद, उ.प्र. को आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-5/71 विनीत खण्ड का मूल्य आसान किशतों में लिये जाने के सम्बन्ध में विचार। 86
22. रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्र पर आरोपित मलवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार। 87
23. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1 ए

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

.....

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक
21 अगस्त, 1996 का
कार्यवृत्त पुष्टि हेतु
संलग्न है।

तत्समक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996,
का कार्यपत्र

उपस्थिति:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | श्री नरेश बघेल | अध्यक्ष, तत्समक मण्डल एवं
अध्यक्ष, तत्समक विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री अरवि प्रताप शिंदे | प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग। |
| 3. | श्री गंगाधर यादव | उपाध्यक्ष, तत्समक विकास प्राधिकरण। |
| 4. | श्री प्रदीप शुक्ला | निष्ठाध्यायी, तत्समक। |
| 5. | श्री आर.पी.त्यागी | उपाध्यक्ष, गाँवशावाद विकास प्राधिकरण। |
| 6. | श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा | विशेष सचिव, वित्त विभाग। |
| 7. | श्री संजय अप्पवाल | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम
तत्समक। |
| 8. | श्री वी.एस. मीश्रा | मुख्य अभियंता, जलविभाग, तत्समक। |
| 9. | श्री मुस्लीमर | अपर निदेशक, उद्योग विभाग। |
| 10. | श्री आर.प्रसाद | अपर निदेशक, पर्यटन विभाग। |
| 11. | श्री रामवृक्ष प्रसाद | संयुक्त सचिव, आवास विभाग। |
| 12. | श्री एम.पी.अनेजा | सोफ्ट चिपोजक, उत्तर प्रदेश, तत्समक। |
| 13. | श्री एम.ए.ए.रान | सचिव, तत्समक विकास प्राधिकरण। |

विषय संख्या: 1

निर्णय:

तत्समक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक :
जून, 1996 के कार्यपत्र का पूर्णिकरण।

अनुसूक्त विषय संख्या: 2 एवं 3 में अंकित विषय
"पूर्व निर्धारित शासनादेश के प्राधिकारों के अनुसार सेवा शर्तों"

क्रमशः.....

संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाना चाहिये" के स्थान पर "" इस प्रकार के बिन्दुओं को प्राधिकरण स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये" अंकित किया जाये।

दिनांक 22 जून, 1996 के कार्यवृत्त के पृष्ठ-8 पर अन्य निर्णय बिन्दु-2 की तीसरी पंक्ति में अंकित " रोप व्यक्त किया गया" शब्द हटा दिये जायें।

उक्त संशोधनों सहित तत्समक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2

तत्समक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या: 3

तत्समक विकास प्राधिकरण के कार्यों की मासिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय:

§ 1§ सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित प्रगति आख्या का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि व्यवसायिक सम्पत्ति से बकाया की वसूली बहुत ही कम है, अतः निर्देश दिये गये कि व्यवसायिक सम्पत्ति की बकाया वसूली की ओर अधिक ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक वसूली की जाये।

§ 2§ भवन विभाग द्वारा प्रस्तुत शमन सम्बन्धी आकड़ों के अवलोकन के पश्चात् निर्देश दिये गये कि शमन से आय बहुत ही कम हुई है। इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष अपने स्तर से निर्देश जारी करके शमन की कार्यवाही को तेज करायें।

§ 3§ डेवलपमेंट चार्जज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय से स्थगनादेश होने के कारण डेवलपमेंट चार्जज वसूल नहीं किये जा रहे हैं। निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष अपने स्तर पर स्थगनादेश का परीक्षण करके उसे निरस्त कराने की कार्यवाही करायें।

{4} किराये पर उड़ी सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में प्रस्तुत ऑफ़रों के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि इन सम्पत्तियों के लीज-प्लान बनाने हेतु एक अधिशासी अभियन्ता एवं अधिक से अधिक सख्या में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को नामित करते हुए उक्त कार्य पन्द्रह दिना के अन्दर पूर्ण कराया जाये।

{5} लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त निर्देश दिये गये कि "हुडको" द्वारा निर्धारित प्रपत्रों की प्रयोग प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु किया जाये।

{6} अभियन्तण विभाग की प्रस्तुत प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नये निर्माण कार्यों को जहाँ तक सम्भव हो प्रारम्भ न किया जाये। अधूरे एवं अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष स्वयं अपने स्तर पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करके समुचित निर्देश जारी करें।

विषय संख्या: 4

हजरतगंज के समीप सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान यह जानकारी चाही गई कि क्या ऐसे कार्यों हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई आर्किटेक्ट्स का पैनल गठित किया गया है। यदि पैनल है तो सभी आर्किटेक्ट्स को इस हेतु अवसर प्रदान करते हुए उनके प्रस्ताव मागे जाने चाहिये थे। यह बताया गया कि अन्डर ग्राउण्ड पार्किंग का कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है, चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत आर्किटेक्ट्स को इस विशेष कार्य हेतु अनुभव नहीं था अतः ऐसे कार्यों हेतु पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्राइवेट आर्किटेक्ट को नियुक्त करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चार अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी, जिसमें तीन आर्किटेक्ट्स से विचार विमर्श किया और उनमें से म० राजेश एण्ड एसोसिएट्स को उपयुक्त पाया। अध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब प्राधिकरण में वास्तुविदों का अनुभूत पैनल है तो उन सब को यह मौका देना चाहिये था कि वे बताते कि वे प्रस्तावित कार्य करने में सक्षम हो या नहीं।

21.4.2011

बोर्ड के समक्ष प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाने के सम्बन्ध में क्या क्या कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई गई है, जिसके आधार पर हु को ये कृषि प्राप्त करने हेतु कार्य किया गया है। इस उद्देश्य से अल्पकालीन विद्या विभाग के प्रतिनिधि सहित कई सदस्य सदस्य नहीं थे। उनका यह निश्चित मत था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इस बैठक में भी ऐसा किया जा सकता था।

भूमिगत पार्किंग का प्रोजेक्ट बजट से सम्बंधित चीज पर भी बोर्ड को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट पर कार्य कराये जाने के संबंध में बताया गया कि चूंकि इस योजना की स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल के स्तर पर हुई बैठक में हुई थी इस कारण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया। इस संबंध में भी बैठक में अध्यक्ष व वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित कई सदस्यों ने असन्तोष व्यक्त किया। बैठक में विचार निमार्श से यह स्पष्ट हुआ कि मा० राज्यपाल महोदय ने योजना को स्वीकृति करते समय यह ध्यान रखा की थी कि इस योजना का वित्त पोषण शासन द्वारा किया जायेगा। परन्तु वर्ष 1995-96 में शासन द्वारा इस हेतु धनगर्शि अनुमति नहीं की गई। इस वर्ष के प्राधिकरण के बजट में भी इस योजना को कोई प्राधिकरण नहीं दे पाए गए थे। जहां तक निर्यात संस्था द्वारा इस योजना हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। अतः अगर वित्त पोषण के सम्बन्ध में अक्षर बंधक देना व कार्यान्वयन प्रारम्भ कर देना अपेक्षित है। इस संबंध में यह मत था कि जब तक योजना का वित्त पोषण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक योजना का कार्यान्वयन रोक देना चाहिए। इसपर प्रमुख सचिव, आगरा ने अवगत कराया कि प्रोजेक्ट के लिए हुडको से ऋण की व्यवस्था शासन का दे दी गई है और वे शासन से इराका लिखित सूचना प्राधिकरण को भेज देंगे। यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्राकार के लिए 15 दिन में ऋण का स्वरूप नहीं हो जाये, ता प्रोजेक्ट का कार्य रोक दिया जाये।

समाधान के कारण अन्य विभाग अपनी बैठक हेतु स्थगित हो गये।

अनुमोदित
 20. 11. 2000
 प्रमुख सचिव
 अग्रिम, वरिष्ठ, गडवा, लखनऊ एवं
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 में
लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय स.	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
1	2	3	4
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	अनुपूरक विषय संख्या: 2 एवं 3 में अंकित निर्णय के स्थान पर "इस प्रकार के बिन्दुओं को प्राधिकरण स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही शासन का मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाये" अंकित किया जाये। पृष्ठ-8 पर "रोष व्यक्त किया गया" शब्द हटा दिया जाये। उक्त संशोधनों सहित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	निर्णयानुसार संशोधन किये गये।
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	अनुपालन वांछित नहीं।

1	2	3	4
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।	<p>§ 1 §. व्यवसायिक सम्पत्ति से वकाया की वसूली बढ़ाने पर ध्यान देकर अधिक वसूली की जाये।</p> <p>§ 2 §. शमन की कार्यवाही तेज कराने के लिये ध्यान दिये जाने की आवश्यकता तथा उपाध्यक्ष स्तर से निर्देश जारी करने की कार्यवाही।</p> <p>§ 3 §. डेवलपमेंट चार्जेज के सम्बन्ध में स्थगनादेश को निरस्त कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>§ 4 §. किराये पर उठी सम्पत्तियों के विक्रय हेतु लीज-प्लान बनाने के लिये एक अधि. अभि. को नामित करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>§ 5 §. वित्तीय प्रगति आख्या "हुडको" द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।</p>	<p>वकाये की वसूली हेतु नोटिसों जारी की गई है। वसूली का प्रयास किया जा रहा है। विगम दो माह की प्रगति का विवरण अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा शमन की कार्यवाही में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये हैं। शमन उपाधि 15.7.96 के अन्तर्गत शमन शुल्क की गणना किये जाने पर आय में वृद्धि होगी।</p> <p>डेवलपमेंट चार्जेज के सम्बन्ध में स्थगनादेश समाप्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय न्यायालय में शीघ्र तिथि निर्धारित कराके सुनवाई कराने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।</p> <p>लीज प्लान बनाने हेतु श्री ओ.पी. मिश्रा, अधि. अभि. को नामित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा अभी तक 100 भवनों के लीज प्लान तैयार किये जा चुके हैं। ऐसे 28 सम्पत्तियों की पूर्ण धनराशि जमा कराई जा चुकी है तथा तीन की रीजस्ट्री कर दी गई है।</p> <p>इस बैठक में तदनुसार प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई है।</p>

1	2	3	4
	<p>§ 6 § अभियन्त्रण विभाग की प्रगत आख्या के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि नये निर्माण कार्य यथा-सम्भव प्रारम्भ न कराये जायें। अधूरे कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।</p>		<p>इस दृष्टिकोण से वर्ष 1996-97 की कार्य-योजना में केवल अति आवश्यक व प्राथमिकता के कार्यो को ही लिये जाने हेतु कार्यवाही मुख्य अभियन्ता व्दारा की जा रही है और सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।</p>
<p>4. हजरतगंज के समीप सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>निर्णय लिया गया कि उक्त प्रोजेक्ट के लिये 15 दिन में ऋण की व्यवस्था नहीं हो जाती, तो प्रोजेक्ट का कार्य रोक दिया जाये।</p>		<p>अनुपालन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि निर्धारित समय के अन्दर "हडको" से वित्त पोषण की पूर्णता न हो पाने के कारण तथा माननीय उच्च न्यायालय व्दारा स्थगनादेश पारित कर दिये जाने के कारण स्थल पर कार्य रोक दिया गया था।</p> <p>इसी सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि दिनांक 27.12.96 को हडको, नई दिल्ली में अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इवेल्युएशन कमेटी की बैठक में सी.एम.डी. हडको की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट में ऋण देने की हडको व्दारा सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही ऋण स्वीकृत पत्र जारी हो जाने की सम्भावना है।</p>

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 8

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

.....

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की वित्तीय प्रगति आख्या संलग्न की जा रही है।

भौतिक प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

रिपोर्टिंग माह 30-10-96 तक शासकीय ऋणों के प्रतिदान की स्थिति

9

प्रपत्र - IV
(रूपये लाख में)

शासकीय ऋण										
क्रमांक	अभिकरण का नाम	1995-96 में भुगतान की गयी धनराशि	1-4-96 को कुल अवशेष मूलधन जिनका आगामी त्रिमास में भुगतान होना है	वर्ष 1996-97 के त्रिमासों में होने वाले भुगतान	1-4-96 से 30-10-96 तक कालम 6-7 के विरुद्ध भुगतान	रिपोर्टिंग माह के अगले माह के 1.11.96 को कुल बकाया धनराशि				
1	2	व्याज	मूलधन	मूलधन	व्याजधन	मूलधन	व्याजधन	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1-	उ०प्र०शासन विश्व बैंक परियोजना के ऋण को सम्मिलित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।	129.28	111.01	2739.51 (प्रारम्भिक अवशेष)	186.21	299.89	6.84	12.20	2734.21	

(कृष्णाकर त्रिपाठी)
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

रिपोर्टिंग माह 30-10-96 तक हुडको ऋणों के प्रतिदान की स्थिति

10

प्रपत्र - V
(रूपये लाख में)

हुडको ऋण

क्रमांक	अभिकरण का नाम	1995-96 में भुगतान की गयी धनराशि	1-4-96 को कुल अवशेष मूलधन जिनका आगामी त्रैमास में भुगतान होना है	वर्ष 1996-97 के त्रैमासों में होने वाले भुगतान	1-4-96 से 30-10-96 तक कालम 6-7 के विरुद्ध भुगतान	रिपोर्टिंग माह के अगले माह के 1.11.96 को कुल दकाया धनराशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	650.48	1272.50	5241.86 (प्रारम्भिक अवशेष)	1270.72	600.11	655.30	325.13	4878.34

319-1160
(कृष्णाकर त्रिपाठी)
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

रिपोर्टिंग माह 30-10-96 तक अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण के प्रतिदान की स्थिति

प्रपत्र - VI
(रूपये लाख में)

संस्थागत ऋण

क्रमांक	अभिकरण का नाम	1995-96 में भुगतान की गयी धनराशि	1-4-96 को कुल अवशेष मूलधन जिनका आगामी त्रैमास में भुगतान होना है	वर्ष 1996-97 के त्रिमासों में होने वाले भुगतान	1-4-96 से 30-10-96 तक कालम 6-7 के विरुद्ध भुगतान	रिपोर्टिंग माह के अन्त में 30-10-96 मूल ऋण धनराशि का अवशेष (5-8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ब्याज	मूलधन		मूलधन	ब्याजधन	मूलधन	ब्याजधन	
1-	एच०डी०एफ०सी०	16.26	6.53	220.72	6.99	15.80	4.03	9.27	216.69
2-	एस०वी०आई० होम फाई०लि० नई दिल्ली ।	42.45	53.48	201.67	36.20	59.72	30.49	17.47	171.18
3-	आन्ध्रा बैंक, लखनऊ	70.58	17.58	369.07	70.32	70.12	35.16	34.23	333.91
4-	+ यूको बैंक, लखनऊ	332.21	-	1000.00	-	179.20	-	-	1000.00
5-	वी०एम०सी० लि०	164.30	104.00	847.75	104.00	15.20	52.00	75.13	795.75
		625.80	181.59	2639.21	217.51	340.04	121.68	136.10	2517.53

नोट : + यूको बैंक द्वारा मूलधन की किश्त एवं ब्याज दर के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर भी प्राधिकरण द्वारा इस ऋण के विरुद्ध 16 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

(कृष्णाकर त्रिपाठी)
(कृष्णाकर त्रिपाठी)
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

रिपोर्टिंग माह... 31.03.97... 19.96... तक की वित्तीय स्थिति

12

प्राधिकरण का नाम : लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रारूप - VII
(लाख रुपये में)

क्रमांक	मदें	मूल बजट 1996-97	माह 31.03.97 तक आय	माह 31.03.96 तक 1996 में	माह 31.03.96 तक
1	2	3	4	5	6
पूंजीगत आय :-					
1- (क)	ऋणों की प्राप्ति	3800.00	213.50	270.18	483.68
(ख)	राजकीय अनुदान	1001.00	-	-	-
2- (क)	आवासीय भूखण्डों की विक्री	1000.00	353.24	24.61	377.85
(ख)	व्यावसायिक भूखण्डों की विक्री	1500.00	323.35	31.89	355.24
3- (क)	भवन/वाणिज्यिक सम्पत्ति की विक्री	4210.00	1316.00	161.26	1477.26
(ख)	किराये के भवनों की विक्री से आय	-	45.63	9.45	55.08
4	अन्य	1081.00	41.11	194.58	235.69
	योग	12592.00	2292.83	691.97	2984.80

राजस्व आय :-					
1-	रजिस्ट्रेशन से प्राप्ति	705.00	94.15	7.03	101.18
2- (क)	किराया/लीज रेंट से आय	195.00	115.38	17.01	132.39
(ख)	भवनों की हायर परचेज किस्तों से	1200.00	606.46	83.80	690.26
3-	कम्पाउण्डिंग चार्जेज	15.00	2.27	3.66	5.93
4	अन्य आय	275.20	134.35	27.13	161.48
	कुल	2390.20	952.61	138.63	1091.24
	प्रारम्भिक अवशेष		1557.58	379.97	1557.58
	कुल योग		48703.02	1210.57	5633.62

व्यय पक्ष :-					
1- (क)	अधिष्ठान	1044.00	467.72	74.06	541.78
(ख)	प्रकीर्ण व्यय	387.00	124.17	13.17	137.36
2-	भूमि अध्याप्ति	2000.00	413.57	-	413.57
3-	भूमि विकास कार्य	3100.00	634.77	138.45	773.22
4	आवासीय/वाणिज्यिक भवनों पर	3110.00	973.59	163.14	1137.23
5-	ऋणों का प्रतिदान	3765.00	1133.08	319.35	1452.43
6-	रजिस्ट्रेशन धनराशि की वापसी	1000.00	457.17	55.43	512.60
7-	अन्य राजस्व व्यय	304.50	137.90	19.70	157.60
8-	अन्य पूंजीगत व्यय	246.00	11.01	1.03	12.04
	कुल	14956.50	4423.05	784.05	2207.90
	टेन्टेटिव अन्तिम अवशेष		379.97	425.72	425.72
	कुल व्यय		48703.02	1210.57	5633.62

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वर्ष 1995-96 तक लिये गये ऋण एवं वकाये का विवरण

प्रपत्र - VIII 'क'
(रुपये लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	रदीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध अवशेष धनराशि (1-4-96 को)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	विभिन्न योजनायें	हुडको नई दिल्ली	15380.52	14061.421	-	5241.86	
2-	विभिन्न योजनायें	उत्तर प्रदेश शासन	2959.92	2959.92	-	2739.51	
3-	शारदानगर योजना	एच०डी०एफ०सी०	246.50	246.50	-	220.16	
4-	गोमती नगर योजना	वी०एम०सी०लि०	1040.00	1040.00	-	847.75	
5-	गोमती नगर योजना	एस०वी०आई०होम० फाई०	300.00	300.00	-	201.67	
6-	गोमती नगर योजना	आन्धा बैंक	386.65	386.65	-	369.07	
7-	गोमती नगर योजना	यूको बैंक	1200.00	1000.00	-	1000.00	
			21513.59	19994.491	-	10620.02	

डी.ए.ए.ए.
(कृष्णाकर त्रिपाठी)
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से दिनांक 30.10.96 तक लिये गये ऋण एवं वकाये का विवरण

14
प्रपत्र - VIII 'ख'
(रूपये लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध अवशेष धनराशि (1.11.96 को)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	विभिन्न योजनायें	हुडको नई दिल्ली	15672.30	14353.201	-	4078.34	
2-	विभिन्न योजनायें	उत्तर प्रदेश शासन	2959.92	2959.92	-	2734.21	
3-	शारदानगर योजना	एच०डी०एफ०सी०	246.50	246.50	-	216.70	
4-	गोमती नगर योजना	वी०एम०सी०लि०	1040.00	1040.00	-	797.75	
5-	गोमती नगर योजना	एस०वी०आई०होम० फाई०	300.00	300.00	-	171.17	
6-	गोमती नगर योजना	आन्धा बैंक	386.65	386.65	-	333.91	
7-	गोमती नगर योजना	यूको बैंक	1200.00	1000.00	-	1000.00	
			21805.37	20286.271	-	10132.08	

3.12.1996
(कृष्णाकर त्रिपाठी)
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फ्लाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने का प्रोजेक्ट ।

वर्तमान में गोमती नगर योजना के अपरान्त लखनऊ के नगरीय विकास के लिये प्राधिकरण की कोई अन्य नवीन महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ नहीं हो सकी है।

तुनियोजित नगरीय विकास के लिये नगर के बाहरी हिस्सों के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विकास का कार्य अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से रायबरेली रोड और फैजाबाद रोड के मध्य में नगर से लगे हुए क्षेत्रफल को विकास के लिये लिया जा सकता है। किन्तु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार रखा जाना होगा जिससे कम से कम धनराशि विनियोजित करके अधिकतम क्षेत्र का विकास किया जा सके।

उक्त दृष्टिकोण से शासन द्वारा प्रेषित कतिपय मार्ग दर्शक बिन्दुओं के अनुक्रम में विचार करके इस क्षेत्र के लिये निम्नानुसार योजना प्रस्तावित है:-

फैजाबाद रोड के उपरान्त गोमती नगर के एक तिरे से लेकर रायबरेली रोड तक के लगभग 6,000 एकड़ क्षेत्रफल को विकसित करने का प्रस्ताव । इस भूमि के मध्य से रायबरेली रोड को फैजाबाद रोड से मिलाने वाली रिंग रोड बनायी जायेगी, जिसका नाम अमर शहीद पथ रखा जायेगा। इस सड़क के लिये तीन स्थानों पर रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर और गोमती नदी पर एक पुल बनाया जाना होगा। 6 लेन की सड़क और पुल के लिये 60 मीटर चौड़ी पट्टी का उपयोग किया जायेगा ।

क्योंकि सड़क, फ्लाई ओवर एवं पुल के लिये प्राधिकरण के पास संसाधन नहीं है। अतः उचित होगा इसके निर्माण के लिये प्राइवेट बिल्डर/प्रमोटर को आर्क्षित किया जाये। बिल्डर/प्रमोटर के साथ बी.ओ.टी. पद्धति पर प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध किया जा सकता है। उसके लिये परियोजना का आर्क्षण बढ़ाने हेतु 500 एकड़ भूमि को साथ में दिये जाने का प्रस्ताव किया जा सकता है, जिसमें से 350 एकड़ आवासीय प्रयोजन एवं 150 एकड़ व्यवसायिक प्रयोजन के लिये होगी । बिल्डर/प्रमोटर गोमती के पुल से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली कर सकेगा, जिसकी आय उतकों ही प्राप्त होगी। बी.ओ.टी. की अवधि 20 वर्षों की रखी जा सकती है। इस अवधि के लिये सड़क, फ्लाई ओवर एवं पुल के रख-रखाव का उत्तरदायित्व बिल्डर/प्रमोटर का होगा ।

उपरोक्त पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित अर्थ विवेचना संलग्नों में दर्शायी गयी है। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति पर प्राधिकरण को 19.94 प्रतिशत लाभ की आशा है।

प्रमोटर/बिल्डर की संभावित आय एवं व्यय का भी अनुमान लगाया गया है जो संलग्न है। इसके अनुसार बिल्डर/प्रमोटर के लिये योजना लाभकारी है । अतः यह प्रस्ताव है कि योजना की सभी शर्तों को विस्तार से वर्णन करके समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया जाये और तेल बंद निविदाओं के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निविदादाता को कार्य दिया जाये। इससे योजना में पूरी पारदर्शिता रहेगी। इस हेतु बिड में दो स्टेज प्रस्तावित है। पहली स्टेज में अनुबन्ध करने वाले

का अनुभाव एवं आर्थिक क्षमता रखा दी जाये इस हेतु कम से कम 50.0 करोड के टर्न ओवर अथावा 50.0 एकड़ भूमि पर इन्फ्रा स्ट्रक्चर अथावा कालोनी के विकास के अनुभाव की शर्तें रखाना उचित होगा तदोपरान्त जो प्रोमोटर्स इन शर्तों के आधार पर उपयुक्त पाये जाये उन्ही का बित्तीय आफर छोला जाये एवं सर्वोच्च बित्तीय आफर का चयन किया जाये ।


चूंकि प्रोमोटर को 13- 14 कि०मी० लम्बी अमर शाहीद पथा , 3 रेल्वे ओवर ब्रिज तथा एक पुल का निमार्ण अपने श्रोतो से करना होगा एवं इसके लिये उसे लगभग 70.0 करोड रुपये का व्यय करना होगा । अतः इसकी पूर्ति हेतु उसे कुल 500.0 एकड़ भूमि एक या दो स्थानों पर न्यूनतम् आरक्षित मूल्य रुपये - 1.00 पर 90वर्षों की लीज पर दी जाये । चूंकि यह आवश्यक है कि प्रोमोटर को योजना का आकर्षण रहे ,अतः यह भूमि अमर शाहीद पथा के पास सुल्तान पुर रोड पर अथावा रायबरेली रोड पर प्रस्तावित की जा सकती है । इस भूमि में से 350 एकड़ भूमि आवासीय एवं 150 एकड़ भूमि वाणिज्यिक प्रयोग हेतु रखी जा सकती है ,साथ ही साथ प्रोमोटर जिसका आफर अन्ततः चयनित किया जायेगा को अमर शाहीद पथा ,पुल आदि से 20 वर्णों तक दूरी क्लेने की अनुमति दी जा सकती है । पहले तीन वर्णों के लिये बडी ट्रक व बस पर समय 50.0 , छोटे ट्रक व बस पर समय 20.0 तथा हल्के वाहन पर समय 10.0 का रखा जा सकता है । इस दर में प्रोमोटर के विकेकानुसार 3 वर्णों पश्चात् प्रत्येक वर्ण 20% की वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है । अमर शाहीद पथा ,पुल आदि के रखरखाव आदि पर 20 वर्णों तक जो व्यय प्रोमोटर द्वारा किया जायेगा उसकी पूर्ति दूल से हो सकेगी ।


लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपनी आवासीय योजना हेतु भी भूमि अर्जित करने हेतु धान की आवश्यकता होगी । अतः यह भी प्रस्ताव है कि निजी निर्माताओं को 500 एकड़ और भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आफर की जाये जिसके लिए न्यूनतम् आरक्षित मूल्य भूमि की अर्जन लागत में वास्तविक वाह्य विकास की लागत जोड कर रखी जाये । तथा उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया एवं शर्तों के अन्तर्गत सर्वोच्च आफर को भूमि लाइसेन्स के आधार पर अथावा लीज के आधार पर दिया जा सकता है । इससे विकास प्राधिकरण को अपनी योजना के भूमि अर्जन हेतु धान की प्राप्ति हो सकेगी ।


उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत ।

STATEMENT I SHOWING AREA

1.	Total area of the Scheme	6000 Acres
2.	Area under Ring Road	200 Acres
3.	Area for Builder	500 Acres
4.	Area under Form House	300 Acres
5.	Remaining area	5000 Acres
6.	<u>Saleable area (55%)</u>	2750 Acres
	(a) <u>Form houses</u>	Acres
	70% of 300 acres	210.00
	(b) <u>For sl. 5 above</u>	
	(i) Residential area (92%)	2530.00
	(ii) Area for public facility (3%)	82.50
	(iii) Area for commercial use (5%)	<u>137.50</u>
7.	Total saleable area	<u>2960.00</u>


26/11/96
A.C.A. (Y)


Dy. CA


C.A. E.P.

(2)

STATEMENT II SHOWING COST OF DEVELOPED LAND

Development cost
Land cost
Per Smt.

A. Acquisition cost

(i)	Acquisition cost @ 10/- per Sft.	107.63
(ii)	Administrative charges @ 5%	5.38
		<u>113.01</u>
(iii)	Interest @ 17% (for 2.5 years)	48.02
		<u>161.03</u>

B. Cost of Development

(i)	Internal (As per Annex A)	221.00	
(ii)	External (As per Annex B)	<u>275.00</u>	496.00
(iii)	Intt. @ 17% (for one year)	84.32	
		<u>580.32</u>	

C. Cost of developed land

(i)	Cost of acquisition	161.03
(ii)	Cost of development	<u>580.32</u>
		741.35
(iii)	Provision for contingencies & unforeseen expenditure @ 10%	74.14
		<u>815.49</u>

Rate per Smt. on the
basis of 55% saleable

area $\frac{815.49 \times 100}{55} = 1482.70$

Say Rs.1500.00

Notes


Wadhwa

1. The acquisition cost has been taken as informed by A.E. (Acq.) vide letter No.1173/AC/Ad dt.23.11.96.
- ii. It is assumed that loan from HUDCO for acquisition & Development will be taken. Hence provision for interest for half of project period has

contd.....

been made in acquisition cost and for one year in development cost due to the fact that disposal of land as assumed to be started after six months from launching of scheme. The demand survey can be made even earlier.

(iii) The Internal dev. has been taken on the basis of Vinamra Khand of Gomti nagar scheme, as given last year by E.E. concerned. The external development has been taken on the basis of Hardoi Road Scheme as given by E.E. (Sri Ajai Singh) in this month.


A.C.A. 26/11/96


Dy.C.A.

C.A. cum E.P.

STATEMENT III SHOWING INCOME

पृष्ठ नं: 20

Sl. No.	Particulars	Saleable area (in acres)	Ist year	2nd year	III year	IV year	V year	VI year	Total (Rs. in lacs)
1.	<u>Form houses</u>	210	-	63 (30%)	63 (30%)	42 (20%)	21 (10%)	21 (10%)	
	(i) Rate per Smt.		-	1000/-	1100/-	1200/-	1300/-	1400/-	
	(ii) Amount (Rs. in lacs)			2549.52	2804.47	2039.61	1104.79	1189.78	9688.17
2.	<u>Residential</u>	2530	506 (20%)	632.50 (25%)	759.00 (30%)	506.00 (20%)	126.50 (5%)		
	(i) Rate per Smt.		1500/-	1650.00	1800.00	1950.00	2100.00		
	(ii) Amount (in lacs)		30715.66	42234.04	55288.20	39930.36	10750.48	-	178918.74
3.	<u>Public facilities</u>	82.50	-	-	24.75 (30%)	24.75 (30%)	33.00 (40%)		
	(i) Rate		-	-	900/-	975/-	1050/-		
	(ii) Amount (Rs. in lacs)		-	-	901.44	976.55	1402.24		3280.23
4.	<u>Commercial</u>	137.50	-	-	27.50 (20%)	41.25 (30%)	41.25 (30%)	27.50 (20%)	
	(i) Rate				3600/-	3600/-	4200/-	4500/-	
	(ii) Amount				4006.39	6510.38	7011.18	5007.99	22535.94
									<u>214423.08</u>

A.S.A.

DY. C.A.

CA cum EP

2015 06 20 11 55 56 6322 50 2015 06 20 11 55 56 6322 50

6167 77

STATEMENT IV SHOWING COST BENEFIT

Rs. in lacs

1. Expenditure

(i) for 5000 acres @ 815.49 per Smt. 165008.69

(ii) for form house 200 acres @ 815.49 per Smt. (due to form house area taken 200 acres instead of 300 acres) 6600.34

(iii) for 500 acres @ 353.92/- per Smt. (only external) 7161.32

178770.35

2. Total Income 214423.08

3. Cost benefit 35652.73

4. Percentage of benefit 19.94%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


-x- In case of given houses, development cost will be less.

Annexure 'A'

Per Sqm.

1)	Internal Development Expenditure (on the basis of Vinamra Khand)	178.95
2)	Provision for tools & plants @ 2%	<u>₹ 3.57</u>
3)	Overhead charges @ 15%	182.52
		<u>23.38</u>
4)	Maintenance of services @ 5%	209.90
		<u>10.50</u>
		220.40

Say Rs. 221.00


A.C.A.

Dy.C.A.

C.A. cum E.P.

Annexure 'B'

Pos Copy

1.	External development expenditure (on the basis of Hardoi Road)	189.08
2.	Provision for ^{Maintenance of Government} escalation @ 10%	<u>18.90</u>
		207.98
3.	Provision for contingencies & unforeseen exp. @ 15%	<u>31.19</u>
		239.17
4.	Overhead charges @ 15%	<u>35.87</u>
		<u>275.05</u>

Say Rs. 275.00

26/11/46


[Signature]

A.C.A.


STATEMENT SHOWING PROJECT COST OF BUILDER

Rs. in lacs

1.	Cost of road, bridge, 3 fly over & tall plaza (as per annexure 'A')		7,000.00
2.	Internal Development expenditure for 500 acres @ 190/- per Smt.		<u>3,844.52</u>
3.	Interest on working capital (20% of (a)) @ 18% (for 2 years)	(a)	10,844.52
			<u>780.80</u>
4.	Overhead charges & profit @ 15%		11,625.32
			<u>1,743.79</u>
	Total		<u>13,369.11</u>


A.C.A.

DY 


C.A. cum E.P.

STATEMENT SHOWING INCOME

पृष्ठ नं०: 26

Residential - 350 acres, 55%

Saleable - 192.50 acres and Commercial 150 acres, 55% saleable-82.50 acres

Particulars	Saleable area (in acres)	Ist year	IIInd year	IIIrd year	IVth year	Vth year	Total (₹. in lacs)
1. Residential	192.50	38.50 (20%)	57.75 (30%)	77 (40%)	19.25 (10%)		
Rate		1500/-	1650/-	1800/-	1950/-		
Amount		2337.06	3856.15	5608.95	1519.09		13321.25
2. Commercial	82.50	-	-	24.75 (30%)	24.75 (30%)	33 (40%)	
Rate				3600.00	3900.00	4200.00	
Amount				3605.75	3906.23	5608.95	13120.93
							26442.18

A.C.A.

Dy. C.A.

C.A. cum E.P.

TENTATIVE COST OF

THE PROJECT

पृष्ठ नं०: 27

1. Const. Cost of 6m wide

Amar Shaded Path 13500/ha @ 150000 ps/ha

treating with Ps (Housing) (Name of PWD discussed in

$$= 13.2 \times 150$$

20155 Cost

2. Const. Cost of bridge over

Gomti River (6 lane)

$$2 \times 3.75 = 11.25 \text{ crore}$$

(Cost of 2 lane bridge is about

Rs 3.75 crore as estimate &

by U.I. Bridge Corporation, Varanasi
(raj)

3. Const Cost of 3 flyover

$$3 \times 12.00 = 26.00 \text{ crore}$$

(Cost of 4 lane flyover is about 12 crore)

PWD norms discussed in treatise with
Ps. (Housing)

4. Const of toll plaza.

L.S.

20 lanes

65 crore

Indira

Say 70 crore

26/11/96 S.C.

विषय: अलोकप्रिय संपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित,

आख्या: अलोकप्रिय संपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में दो शासनादेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें शासनादेश सं0440/9-आ-1/96 दि0फरवरी,96 §संलग्नक-1§ में आवासीय संपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। शासनादेश सं01142/9-आ-1-1996 दि011.3.96 §संलग्नक-2§ में व्यवसायिक संपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया अंकित की गई है।

2. ल0वि0प्रा0 का निम्नलिखित तीन योजनाओं में गत कई वर्षों से कई बार फंजाकरण कराने के पश्चात् भी आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया, इसका कारण यह भी हो सकता है कि मूल लागत पर प्रतिवर्ष 16 से 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, विनियोजन पर मानते हुए, लगाया जाता रहा है। प्रत्येक स्थान के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :

1. नन्दा सेडा

इस योजना में विभिन्न प्रकार के 28 भवन तथा विभिन्न आकार की 134 दुकानों तथा 80 काउन्टर्स का निर्माण वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त निर्माण कार्य वर्ष 1990 में समाप्त हुआ, उसके पश्चात् विकास कार्य प्रारंभ किया गया। निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर जो व्यय हुआ, उसका विवरण ^{संलग्नक-3(क)} अनुसूचक में दिया हुआ है। उपरोक्त विवरण के अनुसार जो व्यय किया गया है, उसमें मूल लागत पर आधा अर्ध का ब्याज लगाया गया है, जिससे और लागत अधिक न बटे।

उपरोक्त योजना में प्रथम बार दि01.1.88 से 25.1.88 तक तथा द्वितीय बार दि05.2.90 से 5.3.90 तक दुकानों/भवनों का फंजाकरण सोला गया था। प्रथम बार भवनों व दुकानों हेतु 131 फंजाकरण तथा द्वितीय बार भवनों व दुकानों हेतु 5 फंजाकरण हुए थे। उसके पश्चात् नवम्बर 93 में प्रथम केश सेल, ल0वि0प्रा0 द्वारा लगाई गई थी, उसके पश्चात् केश सेल वर्ष 1994, 1995 में भी लगाई गई, परन्तु उपरोक्त संपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया। उपरोक्त फंजाकरण के आधार पर दुकानों के सम्बन्ध में जो आवंटन किये गये थे, उनके आवंटियों ने या तो धनराश जमा नहीं की, या जमा धनराश वापस ले ली। केवल दो भवनों के आवंटन हुए हैं तथा एक भवन ल0वि0प्रा0 के कर्मचारी ने आवंटन हेतु प्रस्तावित है। इस योजना में किसी भी सम्पत्ति -----

का कोई अनुबन्ध/निबन्धन नहीं हुआ है। अतः संलग्नक-3 में दिये हुए व्यय के विवरण के आधार पर उपरोक्त योजना को लागत निकाली गई है, जो ₹0 345.80 ^{लाख} ~~रुपये~~ आती है। संलग्नक-3 में ₹05.00 लाख मरम्मत हेतु प्राविधान किया गया है। मरम्मत पर व्यय करने के पश्चात् बिलिडिंग पूर्ण हो जावेगा तथा उसमें अन्य कोई कार्य नहीं किया जाना है। यदि ₹05.00 लाख का व्यय अनुस्क्षण पर न भी किया जाये तो ₹05.00 लाख घटाकर शेष लागत पर बिलिडिंग का निस्तारण यथावत् किया जा सकता है।

2- कैलाश कुञ्ज योजना

उपरोक्त योजना में बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकाने, काउन्टर्स तथा क्रियास्क का निर्माण किया गया था, उसके पश्चात् तीन तलों पर कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था। इस योजना में निर्माण कार्य वर्ष 1987 में पूर्ण हुआ था। वर्ष 1988-89 में कार्यालय क्षेत्रफल लाटरी निदेशालय को पूर्ण विक्रय के आधार पर विक्रय कर दिया गया था तथा उनसे पूरी धनराशि प्राप्त हो गई थी। दुकाने/क्रियास्क/काउन्टर्स के निस्तारण हेतु वर्ष 1987 से ही फंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया था। इस योजना में 134 दुकाने, 147 क्रियास्क, 61 काउन्टर्स ^{तथा} ^{श्री-केस-26} हैं, जिनमें से 16 दुकाने, 40 क्रियास्क, 18 काउन्टर्स, ^{श्री-केस} का ऑक्टिन हो चुका है और आकॉंटियो ने धनराशि जमा करके अनुबन्ध/निबन्धन करा लिये हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 के अनुसार इस योजना में भी समय समय पर फंजीकरण खोले गये थे, वर्ष 1993 से केश सेल में भी निस्तारण करने का प्रयास किया गया परन्तु निस्तारण नहीं हो पाया। इस योजना में अंतिम विक्रय दि० 06.2.87 को हुआ था। अतः वर्ष 1987 के मूल्य पर अवशेष दुकानो, क्रियास्को तथा काउन्टर्स को लागत निकाली गई है, जिसका विवरण संलग्नक-4 में दिया हुआ है।

3- विकासदीप योजना

यह योजना विधान सभा मार्ग पर स्थित है, इसमें बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकानो का निर्माण किया गया था तथा उसके ऊपर बारह मंजिल तक कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था। दुकानो के अतिरिक्त समस्त कार्यालय क्षेत्रफल का निस्तारण पूर्ण विक्रय के आधार पर काफी समय पूर्व हो चुका है। यह योजना वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी तथा इस योजना में कार्य वर्ष 1986 में समाप्त हो गया था।

इस योजना में विभिन्न आकारों का प्रथम लेवल को 71, द्वितीय लेवल-45, तृतीय लेवल को 63 दुकानों का निर्माण किया गया है। उपरोक्त के विपरीत प्रथम लेवल को 27, द्वितीय लेवल को 12, तृतीय लेवल को 34 दुकाने रखे हैं। प्रथम लेवल पर 44, द्वितीय लेवल पर 33, तृतीय लेवल पर 29 दुकानों का निस्तारण हो चुका है, तथा अनुबन्ध/निबन्धन हो चुके हैं।

उपरोक्त योजना में अंतिम बार आकंटन माह अगस्त, 91 में हुआ था। यह दुकाने प्रथम लेवल 8 बेसमेण्ट का था जो 6-9406व0मा0 का था और ₹0128200-00 पर निस्तारित हुई थी, उसके पश्चात् 1992 में पंजीकरण खोला गया था एवं वर्ष 1993 से 1995 तक का समय समय पर जो केश सेल लगाई गई, उसमें भी विकास दौप को दुकानों के निस्तारण हेतु प्रयास किया गया, परन्तु मूल्य अधिक होने के कारण निस्तारण नहीं हो पाया। अतः वर्ष 1991 में जो विक्रय दर प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर शेष दुकानों का लागत निकाला गई है जो प्रथम लेवल पर ₹018471/- द्वितीय लेवल ₹020,247-00 तथा तृतीय लेवल ₹016837/-प्र0व0मा0 आती है, और जितनी दुकाने उपलब्ध हैं, उनको कुल लागत ₹0118-75 लाख आता है, इसका विवरण संलग्नक-5 में दिया हुआ है।

3. उपरोक्त तीनों ही स्थानों की संपत्तियों के विक्रय हेतु यह प्रस्ताव है कि निम्नवत् सोलड आफर्स, संलग्नकों में दर्शाये गये मूल्य पर, आमंत्रित कर लाये जायें:

क: नन्दा खेडा योजना में पूरे संपत्ति के सोलड आफर्स संलग्नक-3 में दर्शाई लागत पर आमंत्रित किये जायें।

ख: विकासदौप तथा कैलाश कृन्ज में जो दुकाने रखे हैं, उनमें दो प्रकार से सोलड आफर्स आमंत्रित किये जा सकते हैं - एक तो कुल संपत्ति का, दूसरे लेवल/तल-वार।

30/11/98

से,

श्री राजेश कुमार शोका,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश आवास

आवास से,

{1} उपाध्यक्ष,
असल विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

{2} अध्यक्ष,
तमस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ।

10/11/96
6/2

18/11/96

आवास अनुभाग-1

तख्तक: दिनांक फरवरी, 1996

विषय: - लोकप्रिय तमयतियों के निस्तारण विषयक ।

=====

महोदय,

7/11/96
3. जे. जे. जे. जे. जे.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की लोकप्रिय तमयतियों के निस्तारण हेतु आवास देने के लिए प्रति प्रतिष्ठान को दिनांक 20.1.1996 को प्रयुक्त सचिव, आवास विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यपत्र, संलग्न करते हुये मुझे यह ज्ञान का विषय प्राप्त है कि कृपया उक्त बैठक में दिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

18/11/96
विकास प्राधिकरण

तख्तक: उपरोक्तानुसार ।

महोदय,

{1} श्री राजेश कुमार शोका
संयुक्त सचिव ।

किया- 79-आ-1-96-बैठक/06 तख्त दिनांक

प्रतिनिधि, उपरोक्त बैठक के कार्यपत्र की प्रतिनिधि के साथ आशुपत्र, 3090 आवास एवं विकास परिषद को सूचनाएँ एवं अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

आशा से,

{1} श्री राजेश कुमार शोका
संयुक्त सचिव ।

दिनांक 20-1-96 को प्रमुख सचिव, आवास को अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु सुझाव देने के लिये गठित समिति को बैठक का कार्यपत्र ।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारों उपस्थित थे :-

- ॥1॥ श्री शेखर अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन ।
- ॥2॥ श्री ओ०पी० आर्या, सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग ।
- ॥3॥ श्री मोहिन्दर सिंह, आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
- ॥4॥ श्री आर०पी० त्यागो, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
- ॥5॥ श्री सुन्दरेशन, निदेशक (वित्त), हजफो, नई दिल्ली ।
- ॥6॥ श्री विनय कृष्ण, चार्टेड एकाउन्टेन्ट ।

2- प्रमुख सचिव, आवास द्वारा यह चर्चा की गयी कि, ऐसी सम्पत्तियाँ जो अलोकप्रिय होने के कारण 2 वर्षों से अर को अग्रिय के उपरान्त भी बिक्र नहीं पा रही है, उनका मूल्यांकन प्रति-वर्ष 16.5% से 18% ब्याज लगने से बढ़ता जाता है और सम्पत्तियों के अक्रिय होने को सम्भावना जोष होती जाती है । एक ओर तो सम्पत्तियों का निस्तारण सम्भव नहीं हो जाता जिससे प्राधिकरण के बहुमूल्य वित्तीय श्रोत सम्पत्तियों के अनिस्तारित रहने से "लाकड़-अप" हो जाते है, दूसरी ओर सम्पत्तियों के रकड़-त्वाव पर प्राधिकरण को काफी घनराशि व्यय होनी है । अतः यह आवश्यक है कि अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु जोरि बनाई जाय जिसके आधार पर इन सम्पत्तियों का निस्तारण हो सके ।

3- प्रमुख सचिव, आवास द्वारा अलोकप्रिय सम्पत्तियों को परिभाषित करने के सम्बन्ध में यह प्रश्न व्यक्त किया गया कि यदि कोई सम्पत्ति अवस्थापना के लक्षित विकास न होने के कारण नहीं बिक्र रही है तो उसे अलोकप्रिय नहीं कहा जायेगा । यदि यह

सम्पादित रहने योग्य नहीं है । अलोकप्रिय सम्पादित बंधों सम्पादित
उत्पादों जिन्हें व्यवस्थापना पूर्ण रूप से अंत में है तथा जो मूल्य
अवधि के उपयुक्त होने के उपरान्त भी उत्तम जंदा पाये जाते हैं ।
जो सम्पादित से यह निर्णय लिया गया कि उत्तम जंदा उत्तम अलोकप्रिय
सम्पादित को परिभाषित किया जायेगा ।

4- केक में अलोकप्रिय सम्पादितों के निस्तारण के सम्बन्ध में
सम्पूरता से विचार करते हुए सर्व-सम्मति से यह निर्णय किया गया
कि उपरोक्त परिभाषा से आच्छादित समस्त अलोकप्रिय सम्पादित का
मूल्य निर्माण वर्ष को मूल लागत के स्तर पर "फ्रीज़" कर दिया जायेगा
और लागत आंकलन में ब्याज का भार नहीं आना जायेगा ।

5- दुर्लभ आय वर्गीय भवन/साइट एण्ड लोडिंग को छोड़कर अन्य
समस्त अलोकप्रिय सम्पादितों यथा अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा
उच्च आय वर्गीय भवनों को नीलागो द्वारा निस्तारित करके जो निर्णय
समिति द्वारा लिया गया और यह राष्ट्र किया गया कि इन सम्पा-
दितों के निस्तारण में आर्बंटन को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा । यह
भी निर्णय किया गया कि ऐजिभन्स योजनाओं के अन्तर्गत बंधों के जो
दुर्लभ/भवन निस्तारण से रह गये हैं, उनको भी नीलागो द्वारा मूल
निर्माण लागत को सरकारों बोलो मानते हुए निस्तारित किया जायेगा ।

केक दुर्लभ आय वर्गीय भवन तथा साइट एण्ड लोडिंग के सम्बन्ध
में यह निर्णय लिया गया कि इनका निस्तारण यदि नीलागो द्वारा
सम्भव न हो तो पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित आर्बंटन करके इनका
निस्तारण आर्बंटन के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है और यह
व्यवस्था की जा सकती है कि जो व्यक्ति पूर्ण भेरावेस बन्ध देने के
इच्छुक है अथवा कुल मूल्य का कुछ जैसा बन्ध भुगतान करने के लिए तैयार है
उन्को तैयारी दी जा सकती है ।

6- उपरोक्त समिति द्वारा समस्त निस्तारणों से यह भी निर्णय
किया गया कि प्राचीन ऐडवोकेटों के सम्बन्ध में निस्तारणों
द्वारा निर्मित निस्तारित अलोकप्रिय सम्पादितों के निस्तारण में
जो प्रोत्साहित किया जाय किन्तु प्राधिकरणों को विशेष दक्षता
में प्रोत्साहित द्वारा सम्भव हो सके ।

प्रेषक:

पृष्ठ: 34

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में:

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, उ०प्र०

आवास अनुभाग-1

दिनांक: तमनउः मार्च // 1996

महोदय,

सम्यी अवधि से अनिस्तारित संपत्तियों के विषय में शासनादेश सं०-440/9-आ-
-1/96 दिनांक 5-2-96 के माध्यम से कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में
व्यवसायिक संपत्तियों के सम्बन्ध में कुछ स्थानों से जिज्ञासार्थे की गयी हैं क्योंकि कहीं कहीं
व्यवसायिक परिसम्पत्तियाँ भी वर्षों से इकट्ठी पड़ी है।

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है ।


§ अ § व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलाम करते समय उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारण
सम्पत्तियों हेतु घोषित नीति की भाँति किया जाय अर्थात् जब इनका निर्माण पूरा हुआ
था उस वर्ष का मूल्य ही नीलामी में न्यूनतम मूल्य के रूप में घोषित किया जाय ।

§ ब § कुछ विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद् में व्यवसायिक सम्पत्ति
का मूल्य प्रारम्भ से ही बहुत अधिक घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसमें प्रबंध निर्माण एवं
संततन भूमि की कीमत के अलावा आस पास के क्षेत्रों जैसे पार्क आदि की कीमत भी जोड़ दी
गयी है । यह प्रक्रिया उचित नहीं है। जब निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही होना है तो
व्यय में अधिक कीमत घोषित करके वर्षों तक इन सम्पत्तियों को अनिस्तारित रखकर विपत्तीय
संसाधनों का दुरुपयोग का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रकार के मामलों में संवेधित
परिसम्पत्तियों की कीमत निर्धारण उन पर ही व्यय और संततन भूमि की कीमत को ध्यान में
रखकर किया जाय ।

इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि परिसम्पत्तियों का मूल्य में घटा जायेगा ।
नीलामी में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टाश की जाय कि प्रतिस्पर्धा में कीमत उठते से

अच्छा मिले, परन्तु व्यर्थ ही बहुत अधिक कीमत घोषित करके नीलामी में भाग लेने वालों को हतोत्साहित करने का औचित्य नहीं है। अनिश्चित सम्पत्तियों को रचना किसी भी संगठन के हित में नहीं है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस हेतु अपने कुछ महीने में ही प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

भवदीय,



§ जगज्ज प्रताप सिंह §

प्रमुख सचिव आचार्य

कोल्हाड़ा शिक्षा तुलसी काम्पलेक्स के कार्टिंग के सम्बन्ध में सूचना


व्यय की शीट

1- मुख्य भवन का निर्माण लागत-	रुपया-80, 41, 206.57 मात्र	} 1986-96
2- मुख्य भवन में सेनेट्री/इलेक्ट्रिक पर व्यय-	रुपया-23, 88, 723.31 मात्र	
3- काउन्टर निर्माण पर व्यय धनराशि-	रुपया- 2, 50, 000.00 मात्र	
कुल रुपया-1, 06, 79, 930.00		
अर्थात् कुल रुपया-1, 07, 00, 000.00 मात्र		

विभागीय कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण:-

1- विकास कार्य पर व्यय धनराशि-	रुपया-6, 90, 000.00 मात्र	} 1994-96
2- शैक्षिक विकासकार्यपर व्यय धनराशि-	रुपया-8, 50, 000.00 मात्र	
3- सायोगैस प्लांट पर व्यय राशि-	रुपया-2, 63, 000.00 मात्र	
4- साउण्ड्रीवाल के निर्माण पर व्यय धनराशि-	रुपया-2, 00, 000.00 मात्र	1995-96
5- शिक्षाशास्त्रिकण्ड द्वारा ट्रान्स्फरमेण्ट पर व्यय की गई धनराशि -	रुपया-3, 00, 000.00 मात्र	1994-96
6- वन निगम द्वारा बोर्डिंग पर व्यय राशि-	रुपया-1, 50, 000.00 मात्र	1994,
7- अन्य संभावित व्यय की धनराशि-	रुपया-5, 00, 000.00 मात्र	
कुल रुपया-36, 48, 900.00 मात्र		

अर्थात् कुल रुपया-36, 50, 000.00 मात्र


 (Signature)
 OFFICIAL STAMP

NANDA KHERA SCHEME
STATEMENT SHOWING PROJECT COST

Rs. in lacs

1.	Construction cost (as per annexure 'A')	180.21
2.	Development cost (as per annexure 'B')	44.43
3.	Acquisition cost (568.3 Sgm.)	121.16

		345.80

Note: The acquisition cost has been taken 1.5 times of present circle rate because the building is Semi-commercial.

A.C.A.

[Signature]
DY. C.A.
5/11/1966

[Signature]
C.A. cum E.P.

Annexure 'A'

		(Rs. in lacs)
1.	Construction cost	108.07
2.	Intt. @ 18% from 1986 to 1990 (half of the const. period)	48.63

		156.70
3.	Overhead charges @ 15%	23.51

	Total	Rs. 180.21

[Handwritten Signature]
30/11/98

STATEMENT SHOWING COST OF DEVELOPMENT CHARGES

Annexure 'B'

(₹. in lacs)

Sl. No.	Item (Expenditure)	Amount	Period	Half of the period	Intt. @ 18%	Overhead charges @ 15% on (A+B)	Total cost
1.	Development cost	15.55	3 years (94 to 96)	1.5 year	4.20	2.96	22.71
2.	BIO Gas Plant	2.66	3 years (94 to 96)	1.5 year	0.72	0.51	3.89
3.	Electrification	5.05	3 years (94 to 96)	1.5 year	1.36	0.96	7.37
4.	Construction of boundary wall	2.02	2 years (95 to 96)	1 year	0.36	0.36	2.74
5.	Payment given to Jal Nigam for boring	1.52	1 year	6 months	0.14	0.25	1.91
6.	Other Anticipated Exp.	5.05	(-)	-	-	0.76	5.81
							<u>44.43</u>

A.C.A.

Dy. C.A.

CA cum EP

6100-107-4

STATEMENT SHOWING TENTATIVE SALE PRICE OF KAILASH MUNJ
COMMERCIAL COMPLEX

Sl. No.	Particulars	Tentative area (Sqm.)	Rate P. Sqm. (Rs.)	Tentative sale price	No. of shops	(Rs. in lacs) Total
		3	4	5	6	7
<u>Ground level shop</u>						
S-1 type		5.55	9473.00	0.53	34	18.62
S-2 type		6.53	9473.00	0.62	16	9.92
S-3 type		11.48	9473.00	1.09	36	39.24
S-4 type		19.47	9473.00	1.85	11	20.35
<u>Second level & third level shop & Kiosks</u>						
S-1 type shop		5.55	10065.00	0.56	6	3.36
S-3 type shop		11.48	10065.00	1.16	16	17.40
<u>Kiosks</u>						
K-1		9.47	5248.00	0.50	3	1.50
K-2		3.05	5248.00	0.16	2	0.32
K-3		6.90	5248.00	0.36	2	0.72
K-4		3.26	5248.00	0.17	4	0.68
K-5		4.58	5248.00	0.24	76	18.24
K.6		10.98	5248.00	0.58	20	11.60
Counter		3.53	5382.00	0.19	43	8.17
Show case		=	3500.00 each	0.04	24	0.96
						<u>150.48</u>

Note. The above rates as per col. 4 have been taken for the year 1987.

R.A. Agni
Sr. A.C.A.

[Signature]
Dy. C.A.

CA cum EP

STATEMENT SHOWING TENTATIVE SALE PRICE OF CHITWAPUR COMMERCIAL (VIKASH DEEP)

पृष्ठ: 41

Sl. No.	Particulars	Tentative plinth area	Rate per sq.m. (Rs.)	Tentative sale price (Rs. in lacs)	No. of shop	Total (Rs. in lacs)
<u>Ist level (Basement)</u>						
1	Big shop	18 S.M.	18,471/-	3.32	1	3.32
2	Medium shop	12 S.M.	18,471/-	2.22	11	24.42
3	Small shop	6 S.M.	18,471/-	1.11	15	16.65
<u>IIInd level (G.F.)</u>						
1	Medium shop	12 S.M.	20,247/-	2.43	6	14.58
2	Small shop	6 S.M.	20,247/-	1.21	6	7.26
<u>IIIrd Level (F.F.)</u>						
1	Medium shop	12 S.M.	16,837/-	2.02	18	36.36
2	Small shop	6 S.M.	16,837/-	1.01	<u>16</u>	<u>16.16</u>
					<u>73</u>	<u>118.75</u>

Note : The rate has been taken of last sale, i.e., 8/91

R.A. Aggarwal
Sr.A.C.A.

[Signature]
Dy.C.A.


[Signature]
C.A cum E.P.

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण के इम्पूवमेंट ट्रस्ट के भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड करने के लिये फ्री-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत दिनांक: 28-11-96 से किये जाने के संबंध में प्रस्ताव ।

आख्या:- लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के इम्पूवमेंट ट्रस्ट के भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड करने के संबंध में प्राप्त शासनादेश संख्या: 3585/9-आ-1-95-80मित/86, दिनांक: 21 सितम्बर, 95 तथा शासनादेश संख्या: 1639/9-आ-1-95-80मित/86, दिनांक: 10 मई, 95 द्वारा जिन आर्बेटियों द्वारा पूर्व में लीज पर आवंटित भूखण्ड/भवन के विरुद्ध 10 प्रतिशत एकमुश्त धनराशि जमा की जा चुकी है तो 2 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क लेकर फ्री-होल्ड करने की सुविधा प्रदान की गयी है । चूंकि ट्रस्ट की योजनाओं बहुत अधिक पुरानी हैं इसलिये उनके भूखण्डों/भवनों के मूल्य भी बहुत कम हैं जिस कारण फ्री-होल्ड शुल्क भी बहुत कम प्राप्त होता है । इस कारण इन पुरानी इम्पूवमेंट ट्रस्ट के लीज होल्ड से संबंधित एक बार नवीनीकरण हो चुके अर्थात् 30 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में अब 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट भूखण्ड/भवनों को फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में प्राप्त शासनादेश संख्या: 1639/9-आ-1-95-80मित/86, दिनांक: 10 मई, 95 तथा शासनादेश संख्या: 1778/9-आ-95-213डी. ए. /94, दिनांक: 24.5.95 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क के स्थान पर 24 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क जमा करने के लिये शासन से अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त प्रस्ताव किया जा रहा है जिसे अनुमोदन हेतु शासन को भेजा जायेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित होने तक प्राप्त सम्स्त ऐसे फ्री-होल्ड प्रार्थना-पत्रों पर जिनकी वांछित धनराशि प्रस्ताव की तिथि तक जमा हो चुकी है, पूर्व की भाँति फ्री-होल्ड शुल्क अर्थात् 12 प्रतिशत लिये जाने की कार्यवाही पूर्ववत् की जायेगी ।


 28/11/96
 महासचिव, नगर अभियंता,
 लखनऊ विकास प्राधिकरण
 लखनऊ

12/7/95

श्री अणुसु प्रसाद सिंह,
ग्राम सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

- 111 आचार्य आशुतोष,
1070 आचार्य एवं विकास परिवार,
बनारस।
- 121 उपलब्ध,
सर्वरत विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- 131 अणुसु,
सर्वरत विधेय एवं विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आचार्य आशुतोष-1

कलंक: दिनांक 8 अगस्त, 1996

विषय:- 1070 आचार्य एवं विकास परिवार तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में आवंटित भूखण्ड फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में फ्री-होल्ड का निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

कोटि,

उपरोक्त आचार्य एवं विकास परिवार तथा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में सीज पर आवंटित भूखण्डों/प्लॉटों तथा नये आवांटी को फ्री-होल्ड भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आचार्यदेव संख्या-1770/9-आ-1-95-213डीए/94, दिनांक 24 मई, 1995 एवं आचार्यदेव संख्या-2305/9-आ-1-95-80मि/86, दिनांक 21 दिसम्बर, 1995 द्वारा फ्री-होल्ड का निर्देश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आचार्यदेव में आचार्य एवं विकास परिवार एवं विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं में दिए गए निर्देशों को पूर्ण में सीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, उक्त भूखण्ड भूमि की रजिस्ट्री के समय भूमि निर्धारित मूल्य का 2x तिगुने जाने तथा नये आवांटी में भूमि के मूल्य के प्रतिरिक्त 12x फ्री-होल्ड शुल्क देकर फ्री-होल्ड की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत दे कि आदेश के अन्तर्गत में विस्थापित विधेयों में उपलब्ध नहीं है। उक्त एकलता सुनिश्चित करने के हित में उपरोक्त आचार्य एवं विकास परिवार तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पट्टे पर आवंटित भूखण्डों/प्लॉटों एवं योजनाओं के पूर्ण


Handwritten notes and signatures on the left margin.

31-8-95
57
10

प्रति-पत्र लिखे जाने हेतु निम्नलिखित विधे जाने वाले विधियों के प्रावण
अध्याय 1 व 2 में संलग्न है । यह अनुशेष है कि संलग्न प्रपत्रों पर ही प्रति-पत्र
लिखित निम्नलिखित सुविधियां करने का कष्ट करें ।

कृपया इस आशुनादेश की पाचती स्वीकार करें ।

भाई म,



असम प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या 2127111/9-आ-1-96-सद्विभागी

प्रति-पत्र निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेरित :-

- 111 समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 121 समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 131 समस्त मण्डलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 141 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 151 शासन के समस्त अनुभाग ।

भाई म,



असम प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

11 आवास आयुक्ता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

12 अध्यायक,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

13 अध्यायक,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 1995

विषय:- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/ भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन विषयक।

=====

महोदय,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/ भवनों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किए जाने हेतु शासनादेश सं०-1639/9-आ-1-95-80 मित/86 दिनांक 10 मई, 1995 को जारी किया जा चुका है। उक्त शासनादेश के अनुसार जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं उनसे 2 प्रतिशत तथा नए आवंटियों से 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री-होल्ड किए जाने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त विषय में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व आवंटियों को भी लीज पर भूमि के आवंटन की सुविधा नहीं दी जा रही है। अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10.5.95 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट किए जाने का निर्देश हुआ है कि नए आवंटित किये गये भूखण्ड को सीधे फ्री-होल्ड किया जायेगा परन्तु दिनांक 10.5.95 के पूर्व के आवंटियों को लीज की सुविधा दी जायेगी। यदि दिनांक 10.5.95 के पूर्व के आवंटि सीधे फ्री-होल्ड कराने के इच्छुक हैं तो भूमि को फ्री होल्ड करते हुए विशेष निश्चिन्त किया जा सकता है।


3. दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व यदि किसी मामले में आवंटन हुआ है और

-2-

आवंटी द्वारा धनराशि प्राधिकरण/परिषद कोष में दिनांक 10.5.95 के पूर्व जमा कर दी गई है तो उन्हें नया आवंटी नहीं माना जाएगा तथा यदि किसी मामले में आवंटी को दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व भूखण्ड का आवंटन हुआ है और उसके द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है परन्तु प्राधिकरण/परिषद आवंटित भूमि का कब्जा देने में अतफल रहा है और पूर्व आवंटित भूमि के स्वज में यदि 10.5.95 के बाद भूमि आवंटित की बखति है तो उसे नया आवंटी नहीं माना जाएगा।

4. अतः कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,


॥ राकेश कुमार गोयल ॥
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3525 ॥ १/9-आ-1-95-तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
- ॥ 1 ॥ तमस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
 - ॥ 2 ॥ तमस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
 - ॥ 3 ॥ तमस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
 - ॥ 4 ॥ शासन के तमस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,


॥ राकेश कुमार गोयल ॥
संयुक्त सचिव ।

नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों को लागू करने पर विचार

प्राधिकरण में वर्तमान में भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा निर्गत निर्देश-1960 तथा लखनऊ नगर की पुनरीक्षित महायोजना-2001 में उपलब्ध नियमों के आधार पर परीक्षा किया जाता है।

बहुधा ऐसे भवन मानचित्र भी परीक्षा हेतु प्राप्त होते हैं, जिनके तन्द्भ में नियम न तो शासन द्वारा निर्गत निर्देश-1960 में उपलब्ध है और न ही पुनरीक्षित महायोजना-2001 में।

अतः प्रस्ताव है कि विकास प्राधिकरण के नियमों में तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी सुतंगत निर्देशों में भवन मानचित्रों के तम्बन्ध में जिन विषयों पर कोई प्राविधान नहीं है, उन पर नेशनल बिल्डिंग कोड इस सीमा तक लागू किये जाने पर विचार किया जाय कि उनके कोई प्राविधान उक्त कित्ती प्राविधान के विपरीत नहीं होंगे।

विषय: गोमती नगर योजना में की जा रही सफाई व्यवस्था पर आने वाले व्यय-भार को आवंटियों से सर्विस चार्ज के रूप में लिये जाने के संबंध में
प्रस्ताव (U.P. Urban Planning & Dev. Act की धारा-33 के अन्तर्गत)

प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में जिनमें वहाँसे आवंटि रह रहे हैं तथा उन्हें आवश्यक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, को उपलब्ध कराने तथा इन कालोनियों को एक आदर्श कालोनी का रूप देने के लिये विचार किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में गोमती नगर योजना के विश्वास, विवेक, विजय, विराम-1, पत्रकारपुरम एवं विशालखण्ड-2 में प्रयोग स्वरेफ सड़कों की सफाई, कूड़ा उठाना, नाले नालियों की सफाई, मलबा हटाने का कार्य व पाकों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्राधिकरण पर इस कार्य हेतु लगभग रुपये 27 लाख व्यय भार प्रतिवर्ष आ रहा है। चूंकि प्राधिकरण द्वारा यह व्यवस्था कालोनी वासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने, कालोनी में जल भाराव, जगह-जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पर गंदगी, पक्कों की उचित सफाई, नाले नालियों की सफाई आदि को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है, इस पर आने वाले व्यय भार के प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके अतिरिक्त मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, नाले-नालियों की मरम्मत, पाकों का रखा-रखाव का कार्य अलग से प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिस पर प्रति वर्ष नियमित रूप से लाखों रुपये व्यय किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति की भी वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में उचित होगा कि सफाई व्यवस्था पर आने वाले व्यय भार को वहाँ के निवासियों से ही जल मूल्य की भांति लिया जाए, तथा प्रत्येक निवासी से भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर ~~एक सफाई चार्ज~~ ^{सफाई चार्ज} लिये जाए। प्रांतिक बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एक डिक्लोरेशन प्रेषित है।

भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार लिये जाने वाले शुल्क का प्रस्ताव निम्नवत् है :-

1. आवासीय-

540 वर्गमी० व उससे अधिक क्षेत्रफल पर रुपये 150/- प्रतिमाह

288 वर्गमी० से 539 वर्गमी० तक रुपये 100/- "

du

क्रमशः.....


200 वर्गमी० से 287 वर्गमी० तक	रुपये 75/- प्रतिमाह
112 वर्गमी० से 199 वर्गमी० तक	रुपये 50/- प्रतिमाह
72 वर्गमी० से 111 वर्गमी० तक	रुपये 30/- प्रतिमाह
दुर्बल आय वर्ग पर	रुपये 10/- प्रतिमाह


2. व्यवसायिक

व्यवसायिक सम्पत्तियों पर यह शुल्क पैसे 40 प्रतिवर्गफिट की दर से लिया जाए।

3. स्कूलों व अन्य पर

नर्सरी से प्राइमरी स्कूल तक	रुपये 500/- प्रतिमाह
जु० हाई स्कूल	रुपये 750/- प्रतिमाह
हाई स्कूल	रुपये 1000/- प्रतिमाह
इण्टरमीडिएट 3	रुपये 2000/- प्रतिमाह
कार्यालय भावन	रुपये 2000/- प्रतिमाह


03/12/96
संयुक्त सचिव-एम


अवर सचिव
11/11/96

उपाध्यक्ष

विषय संख्या: 9

पृष्ठ संख्या: 50


विषय:- रिक्त नजूल भूखण्डों का प्राधिकरण के हस्तान्तरण तथा उसके निस्तारण से प्राप्त धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि शासन को देने तथा 50 प्रतिशत विकास कार्यों पर व्यय के लिए प्राधिकरण के प्राप्त होने के संबंध में।


=====

प्रस्ताव:-

प्राधिकरण प्रबन्धान्तर्गत रिक्त नजूल भूखण्डों को अतिक्रमण से बचाने के लिये तथा भूखण्ड एवं उससे जुड़े स्थलों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से यह प्रस्तावित किया जाता है कि यदि किसी ऐसे रिक्त नजूल भूखण्डों का प्राधिकरण को हस्तान्तरण किया जाय तो उसके निस्तारण से प्राप्त धनराशि में 50 प्रतिशत धनराशि शासन को दी जाय तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि को ऐसे विकास कार्यों पर व्यय के लिये प्राधिकरण द्वारा लिया जाय। प्रस्ताव के उपरान्त इस हेतु शासन से भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



॥ जे. पी. त्रिवेदी ॥
संयुक्त सचिव-जे.



॥ मधुसूदन रायजादा ॥
सचिव

विषय: श्री संजय सक्सेना अवर वर्ग सहायक ल०वि०प्रा० के पुत्र मास्टर शशांक सक्सेना के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु


श्री संजय कुमार सक्सेना के पुत्र मास्टर शशांक सक्सेना को 16.4.93 से ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का इलाज स्थानीय के०जी०एम०सी० के बाल विभाग में डा० पी०के० मिश्रा एवं डा० अर्चना कुमार के अधीन चल रहा है। इस पर अभी तक व्यय हुए धन की प्रतिपूर्ति रूपया 76,400=45 हो चुकी है। यह सभी भुगतान प्राधिकरण के चिकित्सक की सलाह के आधार पर ही किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पुनः श्री संजय सक्सेना ने अब रु० 9729=25 के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी वाउचर के भुगतान हेतु आवेदन किया है तथा के०जी०एम०सी० के इलाज सम्बन्धी अविधि प्रमाण पत्र एवं विभागीय चिकित्सक के प्रमाण पत्र सहित पुनः आगे भविष्य में इलाज को सुचारु रूप से चलाने हेतु भुगतान करते रहने के लिए विभाग से अनुरोध किया है। इसमें चिकित्सक की राय के अनुसार जो दिनांक 14.8.96 मूल प्रतिसंग्रह को प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके अनुसार अब इलाज लगभग डेढ़ वर्ष तक चलने की बात कही गई है, तथा रु० लगभग 1750/= प्रतिमाह के हिसाब से चिकित्सा व्यय आने की बात कही है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रार्थी ने अनुरोध किया है।

अतः श्री संजय सक्सेना के पुत्र के उपचार पर हुए व्यय रु० 9729=25 बिल मूल रूप से संग्रह की प्रतिपूर्ति करने हेतु एवं ^{आगामी बैठक तक} डा० के दिये हुए प्रमाण पत्र के अनुसार जारी इलाज में होने वाले चिकित्सा व्यय रु०-1750/= प्रतिमाह व्यय होने पर प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण निर्णय लेना चाहे।


संयुक्त सचिव-जे


अपर सचिव

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक के तमाम विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।


उपाध्यक्ष 7-9-96
लखनऊ विकास प्राधिकरण



फ़ोन नं: 52

Office : 265393

Fax : 0522 - 266025

DEPARTMENT OF PEDIATRICS

KING GEORGE'S MEDICAL COLLEGE
LUCKNOW - 226003
(INDIA)


Dated: 14.8.96

TO WHOM IT MAY CONCERN

Master shashank Saxena aged 8 years
Male S/o Mr. Sanjay Saxena, Lower Division
Clerk, L.D.A. Lucknow is undergoing therapy
for Acute Lymphotic Leukemia with bone
marrow relapse in this Department. The
treatment is likely to continue for at
least 1½ years from now and will entail of
approx monthly expenditure of Rs. 1750/- (Rupees
One Thousand Seven Hundred Fifty only).

863/ae/96
14/8/96
Counter signed

Professor Department of Pediatrics
K.G. Medical College
G.M. & Associated Hospitals
LUCKNOW


(RASHMI KUMAR)
Asstt. Professor
Assistant Professor
Department of Pediatrics
K.G's Medical College &
G.M. & Associated Hospital
LUCKNOW

आदेश, उत्तर प्रदेश
लघु विकास प्राधिकरण
लखनऊ

दिनांक 10, 1978

संख्या 75/सं०ओ/राशिव, वि०ग्रा०

आदेश

राशिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग-2 द्वारा पारित आदेश संख्या 3480/37-2-88डी-स/70, दिनांक 4 अक्टूबर 1979 तथा उपाध्यक्ष के आदेश संख्या: 20/राशिव, वि० ग्रा० दिनांक 3 अगस्त 1978 का अतिक्रमण करते हुए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को पिछला भत्ता तथा पिछले राहायता शासनादेशानुसार निम्न प्रकार से दिये जाने को स्वीकृत प्रधान की जाती है :-

1-

धर्मिकरण	धानराशि
रु० 350/- प्रतिमाह मूल वेतन तक	रु० 7/- प्रतिमाह
रु० 351/- से रु० 500/- प्रतिमाह तक	रु० 10/- प्रतिमाह
रु० 501/- से रु० 1000/- तक प्रतिमाह	रु० 20/- प्रतिमाह
रु० 1001/- व उससे अधिक	मासिक भत्तों के स्थान पर पिछला भत्ता की वास्तविक रकम प्रस्तुत करने पर पावनी की कुल वार्षिक सीमा रु० 300/- तक होगी।

2- गम्भीर बीमारी जैसे कैंसर तथा हृदय रोग आदि तथा कोई दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा गरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना आवश्यक है तथा क्रानिक बीमारी जैसे हाथ रोग तथा शरीर की बीमारी अस्वस्थ विद्यार्थी हॉस्पिटल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों या उनके परिवार को एक माह के मूल वेतन के बराबर की धानराशि का व्यय लघु विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किया जाएगा। ऐसे लोगों को त्रिविध हॉस्पिटल अथवा मेडिकल कॉलेज के सम्बन्धित एकापर्ट का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है कि सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों का उपचार कितने समय तक प्रयोग इसके अतिरिक्त एक प्रमाण पत्र लघु विकास प्राधिकरण में नियुक्त डाक्टर से इस बात का प्राप्त किया जायेगा कि सम्बन्धित गरीज डाक्टर के निदेशानुसार इलाज करा रहा है और प्राधिकरण के डाक्टर द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही वित्त का भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार के मामलों में प्रतिवर्ष अधिकतम रु० 3,000/- रुपये तीन हजार तक भुगतान किया जा सकता है। इसकी स्वीकृत राशिव, लघु विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी।

3- यदि लघु विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या दीर्घकालीन पिछला भत्ता के बराबर अधिक व्यय होता है तो विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष अपने विवेक से उसकी सीमा से अधिक व्यय की स्वीकृत दे सकते हैं। इसमें प्रतिवन्धक रहेगा कि नर्सरी का इलाज त्रिविध अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अथवा अन्य राज्य एवं वैदेशीय सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य अर्थान करता रहा हो या कराया हो अथवा उपरोक्त किसी भी स्थिति में केन्द्रीय द्वारा किसी विशेष इलाज के लिये रुकी और अनुभवित किया गया हो। ऐसी स्थिति में लघु विकास प्राधिकरण के डाक्टर का बात की सुनिश्च अवश्य करेंगे कि इसी प्रकार का इलाज आवश्यक है। इसकी स्वीकृत उपाध्यक्ष स्तर से प्राप्त की जायेगी।

अन्यथा परिस्थिति में ही व्यय लघु विकास प्राधिकरण द्वारा उभर

4- प्रथम समन्वयी मासिक :

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को उसकी अधिका कर्मचारी को प्रती के सामान्य विद्योति में हई प्रथम प्रकृति के समय उपवार हेतु ₹ 500/- तक का अनुमान अनुमान होगा । इसी प्रकार द्वितीय सामान्य प्रकृति में ₹ 500/- तक अनुमान होगा । उपरोक्त सुविधा प्रथम को प्रकृति हेतु प्रसारण सामान्य विद्योति के उपरान्त नहीं किया जायेगा ।

ED/-

॥ गोविन्दन नाथर ॥
उपाध्यक्ष

कार्यालय सामान्य प्रशासन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

संख्या: 630/सरोयो

दिनांक: 11 सेप्टेम्बर, 1986

द्वितीयोत्तीप समस्त विभागध्यक्षों को सूचनार्थ संघ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त निदेश
11/9




विषय- श्री पुलकेशान कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।


श्री पुलकेशान कुमार सिंह, अवर अभियन्ता का इलाज मेडिकल कालेज के डा०बी०के०पुरी के अधीन चल रहा था। डा० बी०के०पुरी द्वारा श्री पुलकेशान कुमार को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, नई दिल्ली को संदर्भित किया गया। डा०बी०के०पुरी के पत्र की प्रति संलग्न है।

स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर द्वारा श्री पुलकेशान कुमार सिंह से इलाज हेतु आग्रह धनराशि के रूप में ₹2,00,000=00 ₹ दो लाख मात्र की मांग की गई है। छाया प्रति संलग्न है।


₹2,00,000=00 के विरुद्ध उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृत दिनांक 19.12.96 द्वारा ₹ 1,00,000=00 ₹ एक लाख मात्र भुगतान करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है। इलाज जारी है।

अतः श्री पुलकेशान कुमार सिंह को अवर अभियन्ता को इलाज हेतु अक्टोव ₹1,00,000=00 भुगतान करने हेतु एवं जारी इलाज पर व्यय होने वाली धनराशि के प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण निर्णय लेना चाहे।


प्रभारी अधिकारी-अरिषो
(एम० ए० ससकड)


अवर सचिव

अनु सचिव (एम०)
उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।


उपाध्यक्ष

सेवा में,

अधिकांशी अभियन्ता

॥ भवन ॥

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

महोदय,


निवेदन है कि मैं हृदयरोग से पीड़ित हूँ। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की सलाह पर मैं यहाँ एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली में अग्रिम उपचार (वार्ड पास सर्जरी) हेतु भर्ती हुआ हूँ। मेरे उपचार में यहाँ कुल मु० रू० 2,00,000 (दो लाख) खर्च बताया गया है, जिसका एस्टीमेट यहाँ के अस्पताल द्वारा दिया गया है जो साथ में संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के उपचार हेतु उपरोक्त धनराशि का अग्रिम भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाय जिससे प्रार्थी अपने जीवन की रक्षा कर सकें। उपचार में खर्च धनराशि के बिल - बाउचर बाद में भुगतान समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

धन्यवाद।

दिनांक : 24-10-16

भवदीय



॥पुलकेशिन कुमार सिंह॥

अवर अभियन्ता

॥भवन॥

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।



**Escorts
Heart Institute
And
Research Centre**

OKHLA ROAD, NEW DELHI-110 025 (INDIA)

पृष्ठ सं: 57

PHONES : 6844820, 6833641, 6838889
GRAMS : "ESHEARTINS"
TELEX : NEW DELHI 031-75284
FAX : (11) 6832605
POST BOX NO. 9717

Mr. Pulkeshan Kumar Singh,
3/226 Vishwas Khand,
Gomti Nagar, Lucknow.

29th OCT., 1991

Sir,

With reference to your enquiry regarding charges for Angiography /Open Heart Surgery/ ASD/AVR/MVR/DVR. We have to say that these procedures are being undertaken as package deals at this Institute. I am enclosing a consolidated rate list which indicates the items/services included in the package and also services which are outside the scope of package and have to be additionally paid for. Briefly the charges are as under :-

- | | |
|--|--|
| 1. Coronary Angiography/Cardiac Cath | Rs. 14,000.00 plus cost of non-ionic special dye (if used) at actuals. |
| 2. Open Heart Surgery (CABG)/Single Valve replacement/ASD/VSD. | Rs. 1,40,000.00)* |
| 3. Double Valve replacement casses | Rs. 1,60,000.00)* |
| 4. High risk Surgery | Rs. 1,65,000.00 |
| 5. Re-do Cases | Rs. 2,00,000.00 |
| 6. CABG + TMR | Rs. 1,85,000.00 |
| 7. Provision for additional items and Spl. Tests if applicable | Rs. 15,000 =
Rs. 2,00,000 = |

* Plus cost of valve (s) extra at actuals ranging from Rs. 29,000/- to Rs. 50,000/- each.

P.S. Advance payment at the time of admission in Cash/Draft infavour of Escorts Heart Institute and Research Centre payable at New Delhi.

For Escorts Heart Institute
& Research Centre
(A. ASIM KIDWAI)
Commercial Manager

Yours faithfully,

for Escorts Heart Institute and Research Centre

Prof. V. K. Puri

M.D., D.M. (Card)

M.B. (U.K.), FRCP (Edin), F.R.C.P. (LONDON)

Professor of Cardiology

Lan Cardiology Centre

K.G.'s Medical College, Lucknow

Hony. Consultant Armed Forces,

Hony. Consultant N.R. Lucknow,

Commonwealth Fellow, Q.E. Hospital Birmingham

Senior Commonwealth Fellow, London.

Phone:

Res. : 381677, 7468

Office 269510

पृष्ठ सं: 58

Date 26/10/96

Dear Nareish,

The bearer Mr. P.K. Singh 40 yrs is related to
Mr. A.P. Singh ^{who is} Principal Secy, Pousung, ~~and~~ a very close friend
of mine

He had Inf. Zafarot on 11.9.96 & was thrombolysed.
He had post MI Angina soon after recovery and his ang.
Shows AMCA & TUV. He needs surgery on top priority.

Kindly fix him in your list next week, as
he is a high risk candidate

I shall be most grateful

Thanks & best wishes

Your sincere
Vijay

DR. W. Trehan

Ex Director

Escorts Heart Centre

New Delhi

परिचालन से पारित

श्रीमती वृज किशोरी मुल्ला को भूखण्ड संख्या-126/31 वी0एन0रोड लालबाग नक्शे के संबंध प्रधिकरण के अनुमोदन हेतु टिप्पणी।

श्रीमती वृज किशोरी मुल्ला द्वारा भूखण्ड संख्या-126/31 वी0एन0रोड लालबाग लखनऊ में होटल निर्माण हेतु एक प्रस्ताव दिनांक 7 मार्च, 1988 प्रस्तुत किया गया था। प्रधिकरण द्वारा मानचित्र दिनांक 3 मार्च, 1990 को निम्न टिप्पणी के साथ निरस्त किया गया था "प्रश्नगत परिया महायोजना में कामर्शियल/आवासीय है जब कि आपने होटल का मानचित्र जमा किया है जिसकी अनुमति कन्ट्रीलिंग अथॉरिटी से लेनी आवश्यक है"। इसके विरुद्ध फल ने अध्यक्ष/आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के समक्ष अपील की जिसमें दिनांक 29 नवम्बर 1994 को निर्णय हुआ कि प्रकरण से संबंधित विषय प्रधिकरण की आगामी बैठक दिनांक 14 दिसम्बर 1994 में रखा जाय तदुपरान्त प्रधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 में विषय संख्या-29 के विपरीत इस प्रकरण को रखा गया जिस पर प्रधिकरण के निम्न प्रस्ताव पारित किये:-

"विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पहले इस बात का परीक्षण करा लिया जाये कि होटल की अनुमति देने से उक्त क्षेत्र के ट्रैफिक तथा अन्य सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा"।

प्रधिकरण के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नगर नियोजन उत्तर प्रदेश को पत्रांक-61/अ0अ0-भवन/95 दिनांक 17 जनवरी, 1995 प्रेषित कर मन्तव्य प्राप्त किया गया, जो उनके पत्रांक-470/व0नि0-एम/लखनऊ-भू-उपयोग/95 दिनांक 21 मार्च, 1995 द्वारा मन्तव्य प्राप्त हुआ:

"प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग संशोधित लखनऊ महायोजना-2001 के अनुसार आवासीय है तथा वी0एन0रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर है। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में विभाग का मत है कि महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 100 की सीमाओं के अन्तर्गत यदि प्रश्नगत स्थल पर होटल के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो यातायात तथा अन्य सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है स्थल पर पार्किंग हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान अनिवार्य रहेगा"।

अतः प्रधिकरण के प्रस्ताव दिनांक 29 सितम्बर 1994 के क्रम में पुनः इस विषय को मुख्य नगर एवं ग्राम्य नगर नियोजक के मन्तव्य के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक यातायात लखनऊ को पत्रांक संख्या-आर-92/प्लडीए/जीजी दिनांक 21.7.95 प्रेषित कर जानकारी की गयी। पुलिस अधीक्षक यातायात का इस संबंध में अनापत्ति निम्न अभियुक्त के साथ दिनांक 17.7.95 को प्राप्त हुआ। "मेरे द्वारा संलग्नक नक्शों का अवलोकन किया गया जिसमें कमरों की संख्या-32 अंकित की गयी है परन्तु कार पार्किंग हेतु केवल 7 कार की व्यवस्था की गयी है जो अपर्याप्त है अतः संस्तुति नहीं की जाती है"। साथ ही आयुक्त/अध्यक्ष के आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 1994 के अनुपालन में दिनांक 2 नवम्बर, 1995 प्रभारी अधिकारी-भवन द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किये गये, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस संबंध में दिनांक 28.8.95 को श्रीमती वृज किशोरी मुल्ला को प्रेषित कार पार्किंग के संबंध में जानकारी की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना शपथ पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1996 प्रस्तुत किया गया एवं तदुपरान्त प्रधिकरण की बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 1996 में यह विषय संख्या-8 के अन्तर्गत प्रधिकरण में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव


पर प्राधिकरण ने निम्न निर्णय पारित किये:-

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि विस्तृत सूचनाओं के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय"।

इस प्रकरण पर प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल के पत्र संख्या-3844/राजभवन/199 दिनांक 02 अक्टूबर, 1996 एवं आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-207/पीए0/मा0/प्लाडीए/96 दिनांक 15 अक्टूबर, 1996 में शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

अतः प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूखण्ड के सामने की सड़क पर {विशेश्वर नाथ रोड} की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी के अनुसार सड़क के दोनों तरफ सड़क के मध्य से 35 मीटर की दूरी तक संशोधित महायोजना-2001 में बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग रखा गया है मात्र प्रश्नगत एक ही प्लॉट आवासीय है। बाजार स्ट्रीट हेतु भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एक 0.40 आर 120 महायोजना 2001 में निर्धारित है और जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय क्षेत्र में अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एक 0.40 आर 100 होगा जो कि व्यवसायिक से कम ही है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूखण्ड के सामने वाली सड़क पर व्यवसायिक गतिविधियां वर्तमान में काफी है एवं भूखण्ड के आस पास कोई हिस्टोरिकल मोनोमेण्टस आदि नहीं है पक्ष द्वारा अपने शपथ पत्र में पैरा दो में यह उल्लिखित किया है कि पार्किंग की व्यवस्था पक्ष अपने भूखण्ड कम्पाउण्ड के अन्दर ही रखेगा, जिसका अनुपालन प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते समय प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।

अतः मुख्य नगर एवं ग्राम्य नगर नियोजक की राय के परिप्रेक्ष्य में महायोजना 2001 के प्राविधानों एवं स्थल के आस पास की गतिविधियां को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर होटल के निर्माण के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आख्या प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।



28.X.96

विषय:—खतरा सं० 1056, 1059 निराला नगर आई०टी० घौराहा के आवासीय भू-उपयोग को व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

आख्या:— खतरा सं० 1056 व 1059 जितका क्षेत्रफल 24085 वर्ग फुट अर्थात् 2237.55 वर्ग मी० है, नजूल सम्पत्ति है। इस भूखण्ड को विक्रय किये जाने हेतु निविदायें स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दि० 23.1.95 को प्रकाशित की गयी थी । इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत इस भूखण्ड का भू-उपयोग व्यावसायिक अंकित करते हुए निस्तारित किया गया था ।

लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित है। यह स्थल आई०टी० घौराहा से कुर्ती रोड तथा डालीगंज जाने वाली रोड पर स्थित है। इसी भूखण्ड के निकटस्थ प्राधिकरण द्वारा निराला नगर मार्केट तथा अन्य व्यक्तिगत व्यावसायिक क्रियाकलापों के भवन स्थित हैं। महायोजना में इस सम्पूर्ण क्षेत्र को आवासीय प्रदर्शित किया गया है।


नजूल विभाग द्वारा इस भूखण्ड के समीप में ही रहे व्यावसायिक क्रियाकलापों के आधार पर, व्यावसायिक मानते हुए निस्तारित किया गया है। तथा गोमती कान्द्रवशत द्वारा मूल ₹09,00,000/= अंकित करते हुए निविदा प्रस्तुत की गयी है। प्राधिकरण के प० सं० 372/सनरस दि० 10.2.95 द्वारा इस निविदा को ₹0 50,000/= से अधिक होने के कारण शासन को प्रेषित किया गया। शासन के पत्र सं० 306/9-आ-5-95-57सन/95 दि० 24.2.95 द्वारा इस सीमा तक स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये कि " निविदादाता से 25% धनराशि प्राप्त हो जाने पर तार्किक कब्जा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुबन्ध के अन्तर्गत दिया जा सकता है। विकास प्राधिकरण शेष 75% धनराशि 15 दिन के अन्दर पक्ष द्वारा जमा किया जाना सुनिश्चित करेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने तक प्रश्नगत भूमि पर शासन का स्वामित्व रहेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि शासन के हित की सुरक्षा और कालान्तर में किसी प्रकार के विवाद न उत्पन्न हो, इसका दायित्व भी प्राधिकरण का होगा ।


उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन को अ०शा०प० सं० 280/उपा०/ल० दि० 31 अक्टूबर 1996 को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए प्रेषित किया गया, जिसके अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया कि पक्ष अवशेष 75% धनराशि देने के लिए भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किये जाने की माँग कर रहे हैं। इस प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी विन्दु पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व।

पक्ष को आश्वासन देना सम्भव नहीं होने का उल्लेख भी शासन के पत्र में है क्योंकि भू-प्रयोग परिवर्तन प्रक्रिया में जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त होते वह किस प्रकृति के होंगे तथा उनके निस्तारण के फलस्वरूप भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है ।

प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख महायोजना के अनुसार इस भूखण्ड को आवासीय प्रयोग से व्यावसायिक प्रयोग के लिए परिवर्तित करने का प्रस्ताव इस आशय से प्रस्तुत है कि तदनुसार शासन को संस्तुति की जा सके । नजूल पट्टे में उद्देश्य के आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तन हेतु भी शासन से कार्यवाही वाँछित होगी जो उपरोक्तानुसार महायोजना के भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त की जा सकेगी ।

अतः प्रश्नगत भूखण्ड को महायोजना 2001 के अनुसार आवासीय भू-प्रयोग को व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत है ।


 § शीतला पाल सिंह §
 सहायक नगर अधिकारी ।


 § ज. पी. श्रीवास्तव §
 मुख्य नगर नियोजक

विषय:- हजरतगंज के समीप सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग की स्थिति का प्रस्ताव,

आख्या:-

हजरत गंज के समीप सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा किया गया था। तथा प्रोजेक्ट हेतु हिन्दुस्तान प्रिफेब लि० नई दिल्ली की सर्व निम्न निविदा स्वीकृत हुई थी एवं इनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया था। कार्य प्रारम्भ होते ही माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें सुनवाई के उपरान्त उच्च न्यायालय द्वारा स्थागन आदेश पारित किया गया था।

प्राधिकरण की पिछली बैठक में इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अर्थात् जिसमें यह भी निर्णय हुआ था कि यदि 15 दिन के अन्दर इस प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो कार्य रोक दिया जायेगा। उल्लेख करना है कि हुडको में यह प्रोजेक्ट ऋण हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अर्बन इन्फ्रा-स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इवेलुएशन कमेटी की बैठक न हो पाने के कारण प्रोजेक्ट समय से स्वीकृत नहीं हो सका।

माननीय उच्च न्यायालय का स्थागन आदेश होने के कारण, वित्तीय व्यवस्था 15 दिन में सुनिश्चित न हो पाने के कारण स्थल पर कार्य रोक दिया गया था। इसी बीच हिन्दुस्तान प्रिफेब लि० द्वारा भी कार्य बन्द होने के कारण कुछ क्लेम दायर करके विवाद उत्पन्न कर दिया गया है एवं उन्होंने तीन फ्लोर के स्थान पर दो फ्लोर का कार्य अनुबन्धा की शर्तों के अन्तर्गत करने हेतु पूर्व में अपनी दी गई सहमति वापस ले ली है।

हुडको नई दिल्ली में अर्बन इन्फ्रा स्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट इवेलुएशन कमेटी की बैठक दिनांक 27.11.96 में ऋण हेतु यह प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें हुडको द्वारा ऋण स्वीकृत करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है एवं शीघ्र ही औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार अब हुडको से वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित है।

चूँकि हिन्दुस्तान प्रिफेब लि० द्वारा भी विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। अतः अब लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र पास दो ही विकल्प है। प्रथम हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड का अनुबन्धा निरस्त करके पुनः कार्य की निविदा आमन्त्रित की जाये अथवा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्य सौंप दिया जाये। यह कार्यवाही भी

स्थागन आदेश निरस्त होने पर की जायेगी ।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- हरदोई रोड योजना में निजी निर्माताओं/प्रोमोटर को लाइसेंस के आधार पर भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में :-

आख्या:-

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में राज्य आवास नीति के अन्तर्गत निजी निर्माताओं/प्रोमोटर को लाइसेंस के आधार पर भूमि निविदा आमन्त्रित करके देने का प्रस्ताव है। इस हेतु नियम व शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि शासन के आवास विभाग द्वारा ^{जारी} शासनादेश दिनांक 18 जून, 1996 में यह प्राविधान है कि ऐसे निजी निर्माताओं/प्रोमोटर्स का टर्न ओवर कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए अर्थात् उसे कम से कम 50 एकड़ का क्षेत्रफल विकसित करने का अनुभव हो।

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि ऐसे कम ही निजी निर्माता/प्रोमोटर्स हैं, जिनका वार्षिक टर्न ओवर 50 करोड़ से अधिक हो एवं यदि यही शर्तें रखी जाएगी तो यह सम्भावना रहेगी कि अधिक संख्या में निजी निर्माता/प्रोमोटर्स भूमि हेतु निविदा न दें एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिक मूल्य की विडन प्राप्त हो, अतः उचित होगा कि इस शर्त को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाए कि निजी निर्माता/प्रोमोटर्स कुल 50.0 करोड़ की लागत का कार्य पूर्ण किए हो अर्थात् उसे 50.0 करोड़ एकड़ भूमि विकसित करने का अनुभव हो।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विषय:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

लखनऊ नगर में पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड लखनऊ -

विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या :

1513/9-आ-1/1995 दिनांक 30.4.95 §संलग्न "क"§ में उल्लिखित है कि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत लगभग 200 पत्रकारों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रियायती मूल्य पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराया जाय।

2- आवंटन के लिये निम्नलिखित अर्हता/पात्रता रखने वाले पत्रकारों को इस हेतु सम्मिलित किया जायेगा :-

§क§ यह सुविधा ऐसे पूर्णकालिक पत्रकारों को अनुमन्य होगी, जो तन्माचार पत्र/ एजेन्सी/निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संलग्न है व पंजीकृत है तथा जिनका नियमित प्रॉव्हेन्ट फण्ड कट रहा है।

§ख§ इस शासनादेश के अन्तर्गत पत्रकारों की परिभाषा में प्रमजीवी पत्रकार भी जैसाकि वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट 1995 में वर्णित है, आयेगें।

§ग§ यदि कोई पत्रकार पूर्व में पुरानी सबरिडी योजना में मकान या प्लॉट का लाभ ले चुका है या प्राप्त कर बेच चुका है तो वह इस योजना के निम्न पात्र नहीं होगा।

§घ§ आवंटन से संबंधित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई अन्य सामान्य शर्तें पात्रता के लिए आवश्यक होगी।

3- आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का जो मूल्य आंकलित किया जायेगा, उसमें भूखण्ड के मूल्य का 40 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 50,000=00 § पचास हजार रुपये होगी § रियायत दी जायेगी। कुल अनुदान की राशि जो शासन से अनुमन्य है, रु0.1.00 करोड है। उक्त रियायत के फलस्वरूप आंकलित अनुमानित धनराशि आवंटनी पत्रकार को निम्न-लिखित प्रकार से भुगतान करनी होगी:-

§क§ कुल मूल्य का 10 प्रतिशत भूखण्ड के पंजीकरण के समय जमा करना होगा।

§ख§ 15 प्रतिशत धनराशि आवंटन के समय देय होगी।

§ग§ अवशेष धनराशि एक वर्ष में त्रैमासिक किश्तों में ली जायेगी।

§घ§ भूखण्ड संबंधित पत्रकार के नाम ही आवंटित किया जायेगा। आवंटनी

पत्रकार उक्त भूखण्ड को 30 वर्ष तक न तो बेच सकेगा और न ही किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा।

4- उपर्युक्त प्रकार से पत्रकार अभ्यर्थी को सत्यापित करते हुए भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु एक समेटी का गठन किया गया है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

१क४ निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।

१ख४ सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

१ग४ दो पत्रकार जिन्हें सूचना विभाग नामित करें।

5- उपरि वर्णित शासनादेश में यद्यपि आवंटन से संबंधित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सामान्य शर्त पात्रता के लिये आवश्यक होना बताया गया है तथापि वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निर्धारित अवधि में धनराशि नहीं जमा करने पर प्रचलित दर पर देय ढण्ड व्याज, निरस्तकरण में पंजाकरण की धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती तथा न्यायालय द्वारा मूक के प्रतिकर में बढ़ोतरी की दशा में आवंटनी से बढ़ी हुई दर से धनराशि को लिये जाने का प्राविधान भी किया जाना आवश्यक होगा।

6- उक्त योजना के अन्तर्गत 218 पत्रकारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। गीमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड में कुल 200 भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। अतिरिक्त 18 भूखण्ड आवंटित किये जाने का कार्यवाही के लिए उक्त शासनादेश में वर्णित कुल अनुदान को अधिकतम सीमा एक करोड़ के रमान पर 1 करोड़ 9 लाख रु की अनुमति शासन से प्राप्ति होगी तथा 18 और भूखण्ड उपलब्ध भी कराये जाने होंगे।

7- उपरोक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

॥ जे. पी. त्रिवेदी ॥
संयुक्त सचिव-जे.

॥ मधुसूदन रायजादा ॥
सचिव

॥ डा० ललिता वर्मा ॥
उपाध्यक्ष

विषय:- तीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत अम्बेदकर नगर योजना की लगभग 586 एकड़ भूमि का कब्जा कितानों से तमझौते के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

आख्या:-

तीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत 1527 एकड़ भूमि का अर्जन वर्ष 1981 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था तथा भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा लॉविंशॉ को हस्तान्तरित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत भूमि का स्वार्ड भी घोषित किया जा चुका है। ^{अर्जित} भूमि का विवरण तथा मूल स्वार्ड के अनुसार प्रतिकर की दर का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	अर्जित क्षेत्रफल	मूल स्वार्ड के अनुसार प्रतिकर की दर {वर्गफुट}
1.	मुहीददीनपुर	216-1-0-0	रु०-0. 32पैसे/गड्डे 0. 24पैसे/
2.	भिठौली खुर्द	151-4-17-0	रु०-0. 28पैसे
3.	खारगपुर जागीर	432-2-11-0	रु०-0. 32पैसे/गड्डे 0. 24पैसे/
4.	तेमरा गौढ़ी	40-2-0-0	रु०- 0. 28 पैसे
5.	महिबुल्लापुर	666-7-8-0	रु०-1. 22 पैसे
4.	खालीलाबाद	79-4-0-0	रु०-1. 22 पैसे
5.	बटहा तबौली	79-4-19-0	रु०-1. 22पैसे
6.	अकिलापुर	208-7-7-0	रु०-1. 22 पैसे
7.	तिरुन्दरपुर इजायत अली	337-4-13-0	रु०-1. 22 पैसे
8.	बहाइपुर	158-13-11-0	रु०-0. 28 पैसे गड्डे की
9.	जाहिदपुर	14-8-4-0	रु०-28 पैसे
10.	अतरौली	69-6-9-0	रु०-28पैसे गड्डे 0. 15पैसे

उक्त योजना में लगभग 950 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण भवन/भूखण्ड निर्मित कर चुका है तथा शेष लगभग 586 एकड़ भूमि पर अम्बेदकर नगर नाम की आवासीय योजना कई वर्ष पूर्व बनायी गयी थी। इस योजना में मुख्यतः खारगपुर, भिठौली, मुहीददीनपुर, तेमरा गौढ़ी आदि ग्रामों की भूमि आती है।

इस योजना में कितानों की यह माँग थी कि उन्हें प्रतिकर कम दिया गया है एवं इती आधार पर कार्य नहीं होने दिया। यह भी उल्लेख करना है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम भिठौली खुर्द, खारगपुर, मोहिददीनपुर ग्राम के

कितानों द्वारा भूमि अध्यापित अधि नियम की धारा-18 के अन्तर्गत तर्दी वाद ट्रिब्यूनल में दायर किये गये थे जिनमें से ग्राम मोहिददी-नपुर के उ वादों का निर्णय हो चुका है एवं ₹0-1. 85 बैते प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारण किया गया, हाँलाकि इसके विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की गयी जो लम्बित है, परन्तु कोई भी स्थागन आदेश आदि प्राप्त नहीं हो सका।

बीच में इत बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ कि कितानों से वार्ता कर ली जाय तथा आवश्यकताओं से प्रतिकर प्रत्य कर दिया जाय, जितने स्थल पर कितानों से कब्जा प्राप्त किया जा सके। कितानों से वार्ता करने हेतु उपाध्यक्षा, ल0वि0प्रा0 द्वारा तच्चिव, अपर तच्चिव, संयुक्त तच्चिव, अधीक्षण अभियन्ता अर्जन की एक समिति बनाई गयी थी। इत समिति ने दिनांक: 8. 10. 96 को कितानों के साथ बैठक की बैठक की कार्यवृत्त की फोटोप्रति संलग्न है। इती के साथ कितानों द्वारा दी गयी तहमति की फोटोप्रति भी संलग्न है। समिति ने निम्न राय व्यक्त की है:-

1. ग्राम खारगपुर जागीर, भिठौली खुर्द तथा मोहीददीनपुर की अधि-गृहीत भूमि का प्रतिकर ₹0-1. 83 बैते प्रति वर्ग फुट की दर से देय होगा जित पर नियमानुसार तोलेशियम व ब्याज दिया जायेगा, परन्तु पूर्व में जो प्रतिकर दिया जा चुका है वह धनराशि इत तहमति के आधार पर आने वाली धनराशि में से छटा दी जायेगी।
2. यह तहमति अन्तिम होगा और इसके बाद कितानों का कितनी भी न्यायालय में प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई भी वाद/रेफरेन्स दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा और इत आशय का तहमति विधिक रूप से करना होना और जिते तक्षम न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।
3. अधिगृहीत भूमि पर स्थात कूप, नलकूप, भावन, फल तथा पेड़ आदि कब्जे के समय जाँच के आधार पर मूल्यांकन करने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
4. पुरनगत गाँवों में धार्मिक स्थलों, आवात स्थलों जिनका आवन्तन ग्राम तभा द्वारा पूर्व में विधिवत् पट्टे के आधार पर किया गया, का तमायोजन किया जायेगा। ग्राम पंचायत की जो भूमि अधिगृहीत की जायेगी उतके प्रतिकर का भुगतान पंचायत को किया जायेगा। पुरनगत ग्रामों की अधि-गृहीत भूमि के बीच में जो भूमि बड़ती हो तथा उतका अभी अधिगृहण नहीं किया सक्ता हो उते अधिगृहीत करके नियमानुसार तहमति के आधार पर प्रतिकर

का भुगतान किया जायेगा।

5. कितानों को अपनी भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राधिकरण को देना होगा और प्राधिकरण जैसे-जैसे भूमि कब्जे में लेगा वैसे-वैसे कितानों को भुगतान करेगा।

उपर्युक्त आख्या प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

Libre

सीतापुर रोड योजना के किसानों से समझौता वार्ता के सम्बन्ध आज दिनांक: 08. 10. 96 को हुई सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में हुई बैठक कार्यवृत्तः--

८
उपस्थिति,

- 1- श्री भूमेन्द्र सिंह, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 2- श्री श्रीपाल वर्मा, संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
- 3- श्री पी. सी. मेहरोत्रा, मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।
- 4- श्री एस. बी. मिश्रा, अधीक्षक अभियन्ता-अर्जन, ल0 वि0 प्र0।
- 5- श्री बृजेन्द्र कुमार मिश्र, प्रधान खरगपुर जागीर ।
- 6- श्री विशम्भर कुमार लोधी, निवासी ग्रॉम भिठौली छुई ।
- 7- श्री लालता प्रसाद, निवासी-ग्रॉम मोहिददीनपुर ।
- 8- श्री अयोध्या प्रसाद, " भिठौली छुई ।
- 9- श्री श्रवण कुमार मिश्रा, खरगपुर जागीर।
- 10- श्री मुरारी लाल, " " "
- 11- श्री हनुमान, निवासी " " "
- 12- श्री खालिक, " " "
- 13- श्री ताविर अली, " भिठौली छुई ।


आज सीतापुर रोड योजना के ग्राम खरगपुर जागीर, भिठौली छुई तथा मोहिददीनपुर के किसानों से कल दिनांक: 07. 10. 96 को हुई वार्ता के क्रम में पुनः बैठक हुई जिसमें किसानों की ओर से रू 1.8 अैसे की दर से प्रति वर्ग फुट प्रतिकर दिये जाने की सहमति प्रदान की गई । जिस पर विचार विमर्श के पश्चात समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई और दोनों पधों की सहमति से निम्न बिन्दुओं पर समझौता हुआ : -

- 1- ग्राम खरगपुर जागीर, भिठौली छुई तथा मोहिददीनपुर की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर रू 1.8 अैसे प्रति वर्ग फुट की दर से देय होगा जिसपर नियमानुसार सोलेक्षियम व ब्याज दिया जायेगा परन्तु पूर्व में जो प्रतिकर दिया जा चुका है वह धराराशि इस समझौते के आधार पर आने वाली धराराशि में से घटा दी गई जायेगी ।
- 2- यह समझौता अन्तिम होगा और इसके बाद किसानों का किसी भी न्यायालय में प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई भी वाद/रेफरेन्स दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा और इस आशय का समझौता विधिक रूप से करना होगा और जिसे सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।
- 3- अधिग्रहीत भूमि पर स्थित कूप, नलकूप, भवन, पत्तल तथा पेंड आदि का कब्जे के समय जांच के आधार पर सूचिकांकन करने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
- 4- प्रसन्नगत गांवों में धार्मिक स्थलों, आवश्यक स्थलों जिनका आवंटन ग्राम सभा द्वारा पूर्व में विधिवत् पट्टे के आधार पर किया गया का समायोजन किया


§ 2 §


जायेगा। ग्राम पंचायत की जो भूमि अधिग्रहीत की जायेगी उसके प्रतिकर का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जायेगा। प्रसंगत ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि के बीच में जो भूमि पड़ती हो तथा उसका अभी अधिग्रहण नहीं किया गया हो उसे अधिग्रहीत करके नियमानुसार समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

5- किसानों को अपनी भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राधिकरण को देना होगा और प्राधिकरण जैसे-जैसे भूमि कब्जे में लेगा वैसे-वैसे किसानों को भुगतान करेगा।




§ एस. सी. मिश्र §
अधीनस्थ-अजन,


§ श्री. पाल-सिंग §
संयुक्त सचिव-एस,



§ पी. सी. मेहरोत्रा §
मुख्य अभियन्ता,


§ भूपेन्द्र सिंह §
अपर सचिव,



§ डी. सी. शर्मा §
सचिव,

विषय: अवध अषार्टमेंट हेतु आर्कीटेक्ट का चयन

आख्या:-

गोमती नगर योजना के विपुल हाण्ड-1 में विभिन्न प्रकार के आठ मंजिले भावनों के निर्माण का प्रस्ताव ल०वि०प्र० द्वारा वर्ष 1994 में किया गया था। भावनों का तंक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रकार	प्रस्तावित ब्लॉक की तंख्या	प्रस्तावित कुल भवन की तं०	एक भवन का क्ष० वर्गमी०	अनुमानित विक्रय मू० प्र०व०मी०	कुल अनुमा नित विक्रय मू० त विक्रय मू० लाखा में
टाइप-1 कहकशाँ ३ बेड रुम	1,	32	151.95	9090	रु०-13.81
टाइप-2 आफताब २ बेड रुम	1	32	109.00	9090	रु०-9.90
टाइप-3 फिरदौत १ बेड रुम	1	64	72.70	9090	रु०-6.60

इन भावनों के प्रारम्भिक प्लान ल०वि०प्र० के नियोजन विभाग द्वारा बनाये गये थे, उती प्लान एवंप्लन-था सरिखा के आधार पर अनुमा-नित विक्रय मूल्य आदि की गणना की गयी एवं वर्ष 1994 में पंजीकरण खोला गया था।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जो पंजीकरण खोला गया था उसके अन्तर्गत केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बल्क में पंजीकरण कराया था। प्राप्त पंजीकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक प्रकार के भवनों के एक-एक ब्लॉक का निर्माण किया जायएवं कुल तीन ब्लॉक के लिए व्ययानुमान आदि की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं दिनांक: 12.1.96 को इत कार्य की निविदायें आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं में तर्ब निम्न निविदादाता की निविदा की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा निविदादाता को कायदिश दिनांक: 10.7.96 को दिया जा चुका है।

इत कार्य का व्ययानुमान आदि ल०वि०प्र० के नियोजन विभागद्वारा तैयार किये प्रारम्भिक प्लान के आधार पर बनाया गया था, परन्तु बहु-मंजिली भावनों की आर्कीटेक्चरल डिजाइन का कार्य विशिष्ट श्रेणी काहोने के कारण इतकी आर्कीटेक्चरल डिजाइन हेतु ल०वि०प्र० में स्टाफ उपलब्ध

नहीं है। इसी कारण इस बिन्दु पर विचार-विमर्श किया गया कि इसकी आर्कीटेक्चरल डिजाइन आदि करके आर्कीटेक्ट बैनल बनाया जाय।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आर्कीटेक्ट बैनल के लिए दिनांक:

2. 10. 96 को टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ में तथा दिनांक 4. 10. 96 को टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली में सूचना प्रकाशित करके आर्कीटेक्ट से दि. 11. 10. 96 तक आकर मांगे गये उक्त तिथि तक कुल 54 आकर प्राप्त हुए जिन पर विचार करने के लिए निम्न अधिकारियों की समिति उपाध्यक्ष, महोदय द्वारा गठित की गयी:-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | तत्त्व, विकास प्राधिकरण, लखनऊ | अध्यक्ष, |
| 2. | अपर तत्त्व, विकास प्राधिकरण, | तदस्थ |
| 3. | मुख्य नगर नियोजक, ल० वि० प्र० | " " |
| 4. | मुख्य अभियन्ता ल० वि० प्र० | " " |
| 5. | चीफ आर्कीटेक्ट, उ० प्र० आवात एवं विकास परिषद, | " " |


उक्त समिति ने दिनांक: 6. 11. 96 को बैठक की तथा कुल 54 आकर में से 16 को बैनल में रखने की संस्तुति की तदनुसार इनका बैनल बनाया गया।

अवध अपार्टमेंट का कार्य में बहले से काफी विलम्ब हो चुका है एवं इस विलम्ब का मुख्य कारण आर्कीटेक्ट की नियुक्ति न हो सकना है।

उपरोक्त 16 आर्कीटेक्ट बैनल में से अवध अपार्टमेंट के लिए आर्कीटेक्ट का चयन के लिए उपाध्यक्ष, ल० वि० प्र० द्वारा तत्त्व, ल० वि० प्र० की अध्यक्षता में अपर तत्त्व, मुख्य नगर नियोजक एवं मुख्य अभियन्ता की एक उक्त समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने अवध अपार्टमेंट के लिए दिनांक : 15. 11. 96 व दिनांक 21. 11. 96 को बैठके की संतभी 16 आर्कीटेक्ट पर विचार किया तथा इनमें से मेतर्न एत० वी० जी० कन्सल्टेन्ट प्रा० लि०, नई दिल्ली शाखा-1 गोखाले मार्ग, लखनऊ को इस कार्य हेतु उपयुक्त पया. समिति मेतर्न एत० वी० जी० कन्सल्टेन्ट प्रा० लि० को इस कार्य हेतु 2 प्रतिशत फीस देने की संस्तुति की है।

यह भी उल्लेख करना है कि तिविल तर्वितेज इन्स्टीट्यूट के अधिकारी आवात, अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग हेतु नियुक्त आर्कीटेक्ट को भी 2 प्रतिशत की फीस दी जा रही है। एवं संश्लेषित की संस्तुति

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है


23/11/96

अवध अर्वाटमेंट हेतु वास्तुविद् के चयन हेतु उपाध्यक्षा महोदय द्वारा गठित उपसमिति की बैठक सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.96 को 5.00 बजे हुई,
 = = = = =
 बैठक का कार्यवृत्त
 = = = = =

उपस्थिति:

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | श्री भूपेन्द्र सिंह, | अपर सचिव |
| 2. | श्री पी.सी.मेहरोत्रा, | मुख्य अभियन्ता |
| 3. | श्री जी.पी.श्रीवास्तव | मुख्य नगर निोजक |

विशेष आमन्त्री:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1. | श्री के.बी.सक्सेना | कार्ट एका.एवं इको. प्लानर |
| 2. | श्री एस.बी.मिश्रा | अधीक्षाण अभियन्ता {अर्जन} |

अन्य उपस्थिति:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | श्री इन्दु शोखार सिंह | अधीक्षाणी अभियन्ता |
| 2. | श्री रोहित खान्ना, | सहायक अभियन्ता |
| 3. | श्री देवेन्द्र शर्मा | सहायक अभियन्ता |

समिति के सम्मुख मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी दिनांक 21.11.96 विचारार्थ प्रस्तुत हुई । { पत्रावली नोट साइड पृष्ठ-26 } रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत बैठक में चयनित तीन आर्किटेक्ट्स में से क्रम संख्या-2 के आर्किटेक्ट मेसर्स कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज इडिया प्रा. लि., नई दिल्ली, शाखा लखनऊ इस कार्य को प्राधिकरण की शर्तों एवं निर्धारित समय में करने को तैयार नहीं हैं ।

क्रम संख्या: 3 पर अर्कित मेसर्स सिविल कन्सल्टेंट, लखनऊ द्वारा बहुहाण्डीय आवासीय प्रोजेक्ट्स के कार्य का जो अनुभाव बताया गया था वह गलत पाया गया है । इस सम्बन्ध में समिति का मत है कि इनको पैनल से हटाने की प्रथाक से कार्यवाही की जाये । इनको भी प्रसंगत कार्य के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया ।

इस प्रकार अब इस कार्य के लिये क्रमांक-1 पर उल्लिखित मे. एस.वी.जी.कन्सल्टेंट प्रा. लि., नई दिल्ली, शाखा-लखनऊ 1- गोखाले मार्ग, लखनऊ को समिति द्वारा इस कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया । इनको इस प्रकार के कार्य का व्यापक अनुभाव भी है ।


समिति के संज्ञान में श्री एस.बी.मिश्रा, अधीक्षाण अभियन्ता {अर्जन} द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.11.96 के माध्यम से यह तथ्य लगाया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर स्ट्रक्चरल डिजाइन, सर्विस डिजाइन एवं डाडूमेन्टेशन आदि के कार्य के लिये श्री एन.एम.डी.सेठ, स्ट्रक्चरल कन्सल्टेंट को सर्व-आर्टर दिया गया था, जिसमें कार्य की लागत के 1.3 प्रतिशत की दर से भुगतान किये जाने का उल्लेख उनके आफर में किया गया था ।


(Handwritten mark)


संख्या: ---

मेसर्स एम. एम. डी. सेठ के आफर की शर्तों एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आधार पर उनको अब तक 1.69 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। समिति के मत में यदि श्री सेठ की सेवाएँ आगे नहीं लेने का निर्णय लिया जाता है तो वर्क-आर्डर निरस्त करने के साथ-साथ प्राधिकरण हित में यह भी निर्णय लिया जाना उचित होगा कि चयनित आर्किटेक्ट को भावन प्रोजेक्ट लागत की 2 प्रतिशत की दर से किये जाने वाले भुगतान में से इस धनराशि की कटौती कर ली जाये। तदनुसार ही आर्किटेक्ट से सहमति प्राप्त की जानी होगी।


क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बुकलेट द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है तथा यह विचार व्यक्त किया गया था कि प्रोजेक्ट की लागत नहीं बढ़ेगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सम्पूर्ण कार्यवाही इस प्रकार हो कि प्रोजेक्ट में यथा-सम्भव प्रोजेक्ट की लागत न बढ़े और स्पेसिफिकेशन भी यथा-सम्भव वही रखी जाये।


॥ मधुसूदन सिंह ॥
सदस्य


॥ पी. सी. मेहरोत्रा ॥
सदस्य


॥ जी. पी. श्रीवास्तव ॥
सदस्य

अनुमोदित


॥ मधुसूदन रायजादा ॥
अध्यक्ष

अवधा अपार्टमेंट हेतु वास्तुविद के चयन हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गठित उपसमिति की बैठक सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.11.96 को हुई, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

-
1. श्री पी०सी० मेहरोत्रा, मुख्य अभियन्ता
 2. श्री जी०पी० श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक,

अन्य उपस्थिति:-

1. श्री एस० बी० मिश्र, अधीक्षा अभियन्ता,
2. श्री इन्दुशेखर सिंह, अधिशासी अभियन्ता-पूर्वतन
3. श्री रोहित खान्ना, सहायक अभियन्ता,
4. श्री देवेन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता,

समिति ने यह विचार किया कि चूंकि प्रोजेक्ट बहुखण्डीय भावनों के निर्माण का है तथा निर्माण कार्य लखनऊ में किया जाना है तथा महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के समक्ष प्राधिकरण द्वारा उद्घाटन समारोह में यह प्रस्तुत किया गया था कि इस योजना का निर्माण डेढ़ वर्षों में कर लिया जायेगा तथा जब तक लगभग तीन माह से अधिक समय व्यतीत भी हो चुका है अतः निर्णय लिया गया कि ऐसे वास्तुविदों का चयन किया जायेगा जो कि निम्नलिखित अर्हताएं रखाता हो-

1. वास्तुविद को बहुखण्डीय आवासीय भावनों के निर्माण का पर्याप्त अनुभव हो।
2. वास्तुविद ऐसा हो जिसका लखनऊ में भी एक कार्यालय हो जिससे कि उसके साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जा सके और निर्माण में इस कारण कोई देरी न हो।

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखाते हुए समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसे वास्तुविद का चयन किया जाय जो कि लखनऊ आधारित हों तथा निर्माण के सम्बन्ध में यदि उसके कन्सल्टेंट व अन्य विशेषज्ञ यदि अन्य स्थानों से आते हैं, तो उनके किराया व यात्रा भास्ते का व्यय भार प्राधिकरण पर न पड़े।

समिति द्वारा उपरोक्त अर्हताओं के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण के पैनल में उपलब्ध 16 वास्तुविदों के बायोडाटा का परीक्षण किया गया तथा प्रथम दृष्टताया उक्त अर्हताएं रखने वाले निम्न आर्कीटेक्ट उपयुक्त पाये गये:-

1. मेसर्स एस०वी०जी० कन्सल्टेंट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली, शाखा-लखनऊ।
2. मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली, शाखा-लखनऊ।
3. मेसर्स आर्च एण्ड डिजाइन सेन्टर, लखनऊ।
4. मेसर्स सिविल कन्सल्टेंट, लखनऊ।

उपरोक्त सभी वास्तुविदों द्वारा पैनल में सम्मिलित किये जाते समय प्रस्तुत वायोडाटा पर समिति द्वारा गहराई से विचार किया गया। समिति के अभिमत में उक्त में से क्रमॉक-3 पर अंकित वास्तुविद के अभिलेखों के अनुसार उनके पास बहुसापेक्षीय आवासीय भावनों का पर्याप्त अनुभव नहीं है उनके विवरण में ऐसे किसी बहुसापेक्षीय आवासीय भावन का नाम अंकित नहीं किया गया है जो कि उनके द्वारा निर्मित किया गया है।

अतः कार्यहित में समिति द्वारा केवल क्रमॉक-1, 2 व 4 पर अंकित निम्न आर्किटेक्ट को कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया-

1. मेसर्स एस0वी0जी0 कन्सल्टेन्ट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली, शाखा-लखनऊ।
2. मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया प्रा० लि० नई दिल्ली, शाखा-लखनऊ।
3. मेसर्स सिविल कन्सल्टेन्ट, लखनऊ।

समिति का यह भी मत है कि ऐसे वास्तुविद का चयन किया जाय जो कि प्राधिकरण की निर्धारित दर-भावन प्रोजेक्ट लागत का 2% पर कार्य करने को तैयार हो और बिना बिलम्ब के इस कार्य हेतु अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो उसे नियुक्त करने पर ही विचार किया जाय, अतः समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15.11.96 में मुख्य अभियन्ता को उक्त तीनों आर्किटेक्ट से उपरोक्त बिन्दु पर वार्ता कर उनकी सहमति/असहमति प्राप्त कर समिति के समक्षा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

॥ पी०सी० मेहरोत्रा ॥
सदस्य

॥ जी०पी० श्रीवास्तव ॥
सदस्य

अनुमोदित

॥ मधुसूदन रायज़ादा ॥
अध्यक्ष

विषय: विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

.....

आख्या: एक योजना के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को विभिन्न कारणों से जैसे न्यायिक विवाद, विकास कार्य पूर्ण न होना, अवैध कब्जा हो जाने आदि से अन्य योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने के अनेक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण सेंलग्न तालिका में अर्कित किया गया है।

चूँकि एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुमन्य हो सकता है, अतः सेंलग्न तालिका में अर्कित प्रकरणों का विवरण एक योजना से दूसरी योजना में सम्पत्ति परिवर्तन की अनुमति पर विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	आकृती का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवंटन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं
1	2	3	4	5
1.	कु. सुषमा श्रीवास्तव	जलीगँज योजना	भूखण्ड स:सी-135/ई वर्ष 90 में आवंटित	गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड।
2.	श्रीमती मीना सिंह	टिकैतराय योजना	भवन स:डी-642/2 लाटरी पध्दति से आवंटित।	कानपुर रोड सेक्टर "जाई" में भवन
3.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	सीतापुर रोड योजना	भूखण्ड स.:3/157 लाटरी पध्दति	गोमती नगर योजना में भूखण्ड।
4.	डा. संगीता	टिकैतराय योजना	भवन स:बी-359/2 नाम परिवर्तन व्दारा	कानपुर रोड योजना

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम स.	आफ़्टी का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आफ़्टन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं
1	2	3	4	5
5.	श्री आर.सी. श्रीवास्तव	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स: ए-2/7 रुचि खण्ड-1, लाटरी पध्दति।	गोमती नगर योजना
6.	श्री मारकण्डेय सिंह	अलीगंज योजना	भूखण्ड स0:बी-2/जो 21.5.87 सीधे- आवंटित।	गोमती नगर योजना में भूखण्ड
7.	श्रीमती तनूजा सोमवंशी	शारदा नगर रायबरेली रोड	भूखण्ड स:बी-1/366 रेशम खण्ड, केशडाउन	गोमती नगर में भूखण्ड
8.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	गोमती नगर योजना	भवन स: एलआईजी 5/956, लाटरी प.	गोमती नगर में भूखण्ड

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	आकृति का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवंटन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं
1	2	3	4	5
9.	श्री सुमित	शारदा नगर योजना	भूखण्ड सं:1/216 रोशम खण्ड। लाटरी पद्ध.	गोमती नगर योजना
10.	श्री तेज किशन रस्तोगी	शारदा नगर योजना	भूखण्ड सं: 1/348 रोशम खण्ड,	गोमती नगर योजना
11.	श्री दुर्गा प्रसाद बाजपेयी	अलीगंज योजना	भूखण्ड सं:सी-75, सेक्टर "ओ"	गोमती नगर योजना
12.	श्रीमती मनोरमा सिंह देने	जानकीपुरम योजना	भूखण्ड सं:2/914 सेक्टर एच	गोमती नगर योजना
13.	श्री उमेश सेठ	अलीगंज योजना	भूखण्ड सं:सी-59 सेक्टर "ए", गोमती नगर से परिवर्तित।	गोमती नगर योजना

विषय: दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

आख्या:

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न आवंटियों पर समय से धनराशि जमा न कर पाने के कारण दण्ड ब्याज एवं सम्पत्ति का एक योजना से दूसरी योजना अथवा सम्पत्ति से सम्पत्ति परिवर्तित कराने पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ़ किये जाने के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण सैलग्न तालिका में अंकित किया गया है।

अतः विचारोपरान्त दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने अथवा न किये जाने पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

दण्ड व्याज, परिवर्तन शुल्क तथा दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफी से सम्बन्धित प्रकरण

क्रम स.	आवन्ती का नाम	योजना का नाम एवं आवन्तित सम्पत्ति/ परिवर्तित सम्पत्ति का विवरण एवं क्रय पध्दति	दण्ड व्याज की धनराशि	परिवर्तन शुल्क की धनराशि	माफ़ किये जाने का आवेदक द्वारा वर्णित कारण	विशेष विवरण यदि कोई हो ।
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राज बच्चर	भूखण्ड स०:ए-2/23 विपुल खण्ड, गोमती नगर §कैश-डाउन§	2,16,371.00	--	--	50 प्रतिशत जमा नहीं।
2.	श्री जनार्दन सिंह	भूखण्ड स०:सी-5/7 "बी" विपुल खण्ड, नेहरु इक्लेव से परिवर्तित।	31375.00	--	विकास कार्य अपूर्ण	50 प्रतिशत उपाध्यक्ष द्वारा माफ़ किया जा चुका है।
3.	श्री सत्यवृत्त	भूखण्ड स०:सी-1/149 विपुल खण्ड, विराट खण्ड से परिवर्तित।	7,182/-	--	कार्यालय द्वारा समय से सूचना प्राप्त न होना।	50 प्रतिशत माफ़ किया जा चुका है।
4.	श्री रामलाल राम	भूखण्ड स०:बी-4/48 बी विपुल खण्ड, शारदा नगर से परिवर्तित।	10,719.50	--	कार्यालय द्वारा समय से सूचना न प्राप्त होना।	50 प्रतिशत माफ़ किया जा चुका है।
5.	श्री हरि मोहन	भूखण्ड संख्या:बी-5/173 विनीत खण्ड, नेहरु इक्लेव से परिवर्तित।	1,49,949.00	--	समय से सूचना न प्राप्त होना।	50 प्रतिशत जमा नहीं।
6.	श्रीमती मंजू देवी व श्री प्रमोद कुमार	भूखण्ड स०:बी-2/101 विपुल खण्ड विकास खण्ड से परिवर्तित।	24,025.00	--	ऋण प्राप्त होने से विलम्ब के कारण।	50 प्रतिशत उपा. द्वारा माफ़ किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री मन्जूर अहमद	भूखण्ड सॅ. :वी-4/146 विज्यन्त खण्ड, विधायक आवास समिति के माध्यम से।	1,26,343.00	--	विकास कार्य अपूर्ण।	50 प्रतिशत जमा नहीं।
<u>परिवर्तन शुल्क सम्बन्धी</u>						
8.	श्री कैलाश शंकर अवस्थी	भूखण्ड स0:सी-2/143	--	23,371.20	--	
<u>दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क</u>						
9.	श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	भूखण्ड स0:सी-2/143 विपुल खण्ड, विराम खण्ड मे आवर्णित भवन से परिवर्तित।	24,940.00	27,720.00		50 प्रतिशत दण्ड व्याज जमा।
10.	श्रीमती सावित्री देवी	भूखण्ड स0:सी-4/9 विपुल खण्ड विराम खण्ड मे आवर्णित भवन से परिवर्तित ।	82,141.33	35,640.00	स्व. पति राजकीय अधिकारी थे, जिन्हे उक्त सुविधा अनुमन्य थी।	50 प्रतिशत दण्ड व्याज जमा नहीं।

श्री देवराज मिश्र सदस्य विधान परिषद 3090 को आवंटित भूखण्ड संख्या बी-5/71 विनीत खण्ड का मूल्य आसान किस्तों में किये जाने का प्रस्ताव।

श्री देवराज मिश्र को विधायक कोटे के अन्तर्गत गोमती नगर में भूखण्ड संख्या बी-5/71 विनीत खण्ड आवंटित किया गया है। प्राधिकरण के पत्र संख्या-473/जे0एस0-एम/विनीत दिनांक 16-3-96 द्वारा श्री मिश्र से भूखण्ड की अनुमानित मूल्य रूपया- 3,16,800/- दिनांक 31-5-96 तक मांगा गया था। श्री मिश्र द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वह विधान परिषद सदस्य है तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इसलिए धन को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। प्राधिकरण नियमों के अन्तर्गत भूखण्ड का मूल्य नकद क्रय पद्धति के अनुसार लिया जाता है और सम्पूर्ण धन 90 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा करने का प्राविधान है। 90दिन के पश्चात् दण्ड ब्याज देय हो जाता है। विनीत खण्ड-5 का अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं है और विकास कार्य पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष लगने की संभावना है। इसलिए श्री देवराज मिश्र के प्रार्थना पत्र पर उन्हें भूखण्ड की धनराशि चार त्रैमासिक किस्तों में नियमानुसार ब्याज सहित जमा किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

 Adc
 JS(M)

विषय: रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के रत्नाकर साड की भूमि प्राधिकरण के लाइसेन्सी बिल्डर्स मेसर्स यूनीटेक को आवंटित की गई थी, तदुपरान्त मे-यूनीटेक द्वारा आवंटित भूमि का एक मू-क्वियास मानचित्र प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990 में स्वीकृत कराया गया जिसमें ब्लॉक-प के अर्न्तगत एक पार्क जिसका क्षेत्रफल 1-94 एकड़ स्वीकृत था, में एक पुराना भवन चेशायर होम स्थित था, उक्त पुराने भवन के अतिरिक्त और भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 22-10-94 को एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पार्क वाली भूमि में जो चेशायर होम जिसका क्षेत्रफल 324.00 वर्गमीटर है, को यथावत् समायोजित करते हुए 3402.00 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटित कर, लीज कर दी गई है। जिसको लोजप्लान में पीले रंग से दर्शाया गया है। उपरोक्त निर्णय के अतिरिक्त पार्क का गणना हुआ क्षेत्रफल 2873.25 वर्गमीटर 0.71 एकड़ है। अर्न्तगत माना जाये जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि चेशायर होम के मानचित्र स्वीकृत में मू-क्वियास में संशोधन आवश्यक था इस कारण मानचित्र स्वीकृत हेतु एक प्रस्ताव प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 96 के विषय संख्या: 7 पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-

" विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड द्वारा अपने ले-आउट में किसी अन्य स्थान पर इतना ही क्षेत्रफल खुले स्थल अथवा पार्क के रूप में छोड़ा जाये"

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30-5-96 को मानचित्रों पर तकनीकी स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ कि फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किये जायेंगे। तदनुसार पक्ष को विभागीय पत्र संख्या: 170/पल.डी.प./पच.जेड.जी. दिनांक 5-6-96 को फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने हेतु एवं मानचित्रों पर आरोपित मलवा शुल्क रु 16,430/- एवं जल व्यय शुल्क रु 7,200/- जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र संख्या: च-287/फा.स.95 दिनांक जूलाई 2,1996 प्राप्त हो गया है। मलवा व जल व्यय शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में श्री वी.के.घई, चेयरमैन चेशायर होम इंडिया लखनऊ के पत्र सं: चे-27/95 दिनांक 5-7-96 द्वारा अनुरोध किया गया है कि चेशायर होम एक चैरीटेबल संस्था है तथा इसका मुख्य कार्य दीन दुखियों की मदद करना है एवं चेशायर होम इंडिया के पास मलवा व जल व्यय शुल्क के रूप में कुल रूपया 23,630/- जमा करने हेतु उसके पास स्वयं कोई संसाधन नहीं है अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मलवा व जल व्यय शुल्क के रूप में रूपये 23,630/- जमा करने से छूट प्रदान कर दी जाये।

अतः चेशायर होम इंडिया के भवन मानचित्र पर आरोपित मलवा शुल्क रु 16,430/- एवं जल व्यय शुल्क रु 7,200/- से छूट प्रदान करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयः

विषय संख्या: 23

विषयः गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ^{व्यावसायिक/}होटल के लिये निर्धारित भूखण्ड के लिये एफ.ए.आर. में परिवर्तन।
=====

आख्या:

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में 4.05 एकड़ एवं 1.88 एकड़ के दो ^{व्यावसायिक/}भूखण्ड, होटल के लिये प्रस्तावित हैं। महायोजना - 2001 के अनुसार इस क्षेत्र के लिये 40 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 1.2 § 1.20 प्रतिशत § एफ.ए.आर. अनुमन्य हैं।

व्यावसायिक/होटल के लिये इतने कम ग्राउन्ड कवरेज और एफ.ए.आर. पर उपयुक्त संस्थाएँ इन भूखण्डों को लेने के लिये इच्छुक नहीं होगी और प्राधिकरण को आर्थिक आय की हानि होगी।

अतः प्रस्तावित है कि विपिन खण्ड में ऐसे प्रयोजनों के लिये ग्राउन्ड कवरेज तथा एफ.ए.आर. क्रमशः 35 तथा 2.0 § 2.00 प्रतिशत § कर दिया जाय।

पूर्व में विषय संख्या 31 के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.12.94 के द्वारा केन्द्रिय वाणिज्यिक क्षेत्र के लिये उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयः

विषय संख्या: 24

विषय: मल्टी स्टोरी कार्मिशियल काम्पलेक्स में भूतल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना ।

=====

आख्याः

वर्तमान में मल्टी स्टोरी कार्मिशियल काम्पलेक्स के भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय महायोजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी निर्देश 1960 के अन्तर्गत परीक्षा किया जाता है, और भवन के साथ अनुमन्य पार्किंग क्षमता महायोजना के परिशिष्ट संख्या: 2 के अनुसार अनुमन्य किया जाता है।

ऐसे भूखण्डों पर जिनमें उपरोक्तानुसार निर्धारित एफ.ए. आर. के अनुसार पर्याप्त पार्किंग के लिये स्थल उपलब्ध न हो पा रहा हो उन भवनों में ग्राउन्ड फ्लोर को पूरी तरह केवल पार्किंग के लिये सुरक्षित रखे जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

वि.स. 25

विवक्षित:- गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-2 में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड का व्यावसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

आख्या:- गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-2 के भू-विन्यास में नर्सिंग होम के प्रयोग हेतु 5 भूखण्ड प्राधिकारित किये गये थे जिनका निस्तारण नर्सिंग होम के प्रयोग हेतु किया जा चुका है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 में प्राधिकरण बोर्ड ने नर्सिंग होम के लिए आवासीय दर की डेढ़ गुनी दर निर्धारित की गयी थी उसी के अनुसार नर्सिंग होम के लिए आवंटित भूखण्डों की धनराशि प्राप्त की गयी थी।

2. उपरोक्त 5 भूखण्डों में से एक भूखण्ड के आवंटनी डा० वीरेन्द्र कुमार गुप्ता जिनकी लगभग 500 वर्ग मीटर का नर्सिंग होम भूखण्ड आवंटित किया गया था, ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 4.12.96 द्वारा अनुरोध किया है कि उनको आवंटित नर्सिंग होम भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति दे दी जाए तथा उनसे अन्तर धनराशि ले ली जाय। उपरोक्त आवंटनी का कहना है कि उपरोक्त भूखण्ड के आवंटन के समय व्यावसायिक मूल्य दर पर मूल्य की गणना कराने के बाद जमा धनराशि घटाकर शेष धनराशि आज के दिनांक तक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित ले ली जाय जिसे देने के लिए आवेदक सतमत है।

3. विवेक खण्ड-2 के जिस स्थान पर उपरोक्त भूखण्ड स्थित है उसी के समीप अन्य 4 भूखण्ड नर्सिंग होम प्रयोग हेतु आवंटित हैं। चूंकि नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड का प्रयोग व्यावसायिक उपयोग की अपेक्षा निम्न स्तर का है अतः उससे उच्च स्तर के क्रिया कलाप का परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से ही किया जा सकता है। विन्यास मानचित्र में यह क्षेत्र नर्सिंग होम के लिए दर्शाया गया है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि शासन ने जुलाई 1989 में व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन नीतियों द्वारा किये जाने हेतु निर्देश दिये थे अतः निम्न प्रस्तावित है :-

I. उपरोक्त आख्या के अनुसार नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड के विन्यास मानचित्र के अनुसार व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय। उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में तदुपरान्त शासन से योजित अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

II. नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की एक निर्मात द्वारा निम्नानुसार नीति प्रस्तावित की गयी है:-

- ए. वैंक प्रयुक्त भूखण्ड नर्सिंग होम प्रयोग हेतु आरक्षित हैं, जिसके व्यावसायिक प्रयोग हेतु अनुमति दी जाना है, जो कि नर्सिंग होम प्रयोग की तुलना में उच्च प्रयोग है। अतः उचित होगा कि इस प्रकार के परिवर्तन की अनुमति विकास प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से प्राप्त की जाय।
- बी. पक्ष द्वारा जमा की गयी धनराशि पर विकास प्राधिकरण जमा तिथि से पक्ष को ब्याज दे दे तथा प्राधिकरण व्यावसायिक भूखण्ड की वर्तमान दर पर धनराशि का अन्तर लेते हुए पक्ष को व्यावसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान कर दे।
उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय सं०- 26

पृष्ठ सं०-

विवरणः टिकैतराय आवासीय योजना में श्रीमती मीरा बक्शी के विवादित भूमि का समायोजन

आख्या :-
=====

टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2 का अर्जन हेतु धारा-4 एवं धारा -6 की विज्ञापित कायदाशन क्रमशः दिनांक 27.6.87 व 6.7.87 को किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम/मो० मेहंदीगंज छातरा सं०-524 क्षेत्रफल 7-6-0-6 का कब्जा वि०भू०अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांकः 7.8.88 को हस्तान्तरित किया गया। भूमि का अभिनिर्णय वर्ष 1996 में किया जा चुका है, जिसके अनुसार रू०-4.50 बैरे प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जाना है।

टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2 जिसमें उक्त छातरा भी सम्मिलित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में ही आवासीय योजना बनाई गयी थी। आवासीय योजना के अन्तर्गत भावनों का निर्माण कर आवंटन किया गया चुका है तथा 77 भावन छातरा सं०-524 पर स्थित है।

छातरा सं०- 524 से सम्बन्धित हितवद्ध व्यक्ति श्रीमती मीरा बक्शी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वर्ष 1987 में एक रिट याचिका 7028/87 भूमि अर्जन के विरुद्ध दाखल की गयी थी तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिनांक 25.4.90 को स्थगन आदेश पारित कर दिया था जो अभी प्रभावी है। इसके साथ ही साथ श्रीमती बक्शी द्वारा मुंतिफ हवाली के न्यायालय में सूट नं०-48/95 दाखिल करके दिनांक 1.2.95 को इंजक्शन आर्डर प्राप्त कर लिया था। न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण छातरा सं०-524 पर निर्मित 77 भावनों का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण आवन्टी को नहीं दे पा रहा है। यह भी उल्लेख करना है कि उक्त छातरा सं० के क्षेत्रफल 3-17-12-8 पर श्रीमती मीरा बक्शी का एक बहुत पुराना भावन, स्कूल व प्ले-ग्राउंड स्थित है।

श्रीमती मीरा बक्शी ने प्रार्थना पत्र के द्वारा निम्न अनुरोध किया है:-

§ 1 § जितने क्षेत्रफल में स्कूल, भावन एवं प्ले ग्राउंड है, उसे स्कूल की तरह समा-योजित कर लिया जाय। इसके बदले वे इस क्षेत्रफल 3-17-12-8 का प्रतिकर नहीं लेगी।

§ 2 § इन्हें पाँच एच०आई०जी० भावन निर्माण वर्ष 1987 की दर पर आवन्टित

कर दिया जाय एवं इसके विरुद्ध देय धानराशि अवशेषा क्षेत्रफल 3-9-7-18 की देय प्रतिकर धानराशि से तमायोजित कर लिया जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उपरोक्तानुसार प्राधिकरण तम्झौते को तैयार होता है तो वे न्यायालय से वाद वाधित ले लेगी एवं 77 में से 72 भावनों का कब्जा छोड़ देगी।


इस तम्बन्धा में अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया है कि 3-17-12-8 के क्षेत्रफल जित पर इनका स्कूल, भवन एवं प्ले ग्राउण्ड है यह योजना में बाहर की तरफ पुरानी आवादी से लगा है एवं लखानउ विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार लखानउ विकास प्राधिकरण इस क्षेत्रफल विशेषाके विकास पर कोई भी व्यव नहीं किया गया है चूंकि यह आवादी से मिला हुआ है एवं योजना केबाहरीतीमा पर स्थित है, अतः भाविष्य में भी कोई विकास कार्य यहाँ नहीं किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यह निर्माण काफी पुराना है।

अतः यह प्रस्ताव है कि 3-17-12-8 जित पर स्कूल, भवन व प्ले - ग्राउण्ड है, का तमायोजन ले-आउट में स्कूल कीतरह कर लिया जाये एवं इस भूमि केबदले कोई विकास व्यव नहीं किया जाय एवं न ही श्रीमती मीरा बक्शी को इस भूमि को कोई प्रतिकर भुगतान किया जायेगा। यह भी प्रतिबन्धा होगा कि लखानउ विकास प्राधिकरण द्वारा भाविष्य में कोई विकास कार्य नहीं किया जायेगा तथा इनके द्वारा लखानउ विकास प्राधिकरण की कोई सुविधा प्रयोग नहीं की जायेगी।

श्रीमती मीरा बक्शी के दूतरे अनुरोध के क्रम में उल्लेख करना है कि अभि निर्णय के अनुसार घोषित प्रतिकर की दर ₹0-4 50 प्रति वर्गफुट में 30 / तालेशियम, 12/ अतिरिक्त प्रतिकर तथा ब्याज आदि जोड़कर प्रतिकर की दर लगभग ₹0-14/= प्रति वर्ग फुट होगी। इस दर से अवशेषा क्षेत्रफल 3-9-7-18 हेतु कुल प्रतिकर की धानराशि ₹0-13, 22, 500.00 देय होगा। यदि कुल प्रतिकर का भुगतान वर्ष 1987 में किया गया माना जाय तो वर्ष 1987 में इस क्षेत्रफल हेतु देयप्रतिकर धानराशि ₹0-5, 58, 400.00 होती है। कांटिंग विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि टिकैतराय आवातीय योजना भाग-2 में एक एच0 आई0जी0 की मूल लागत ₹0-2, 55, 400 थी। इस प्रकार 5 भवन की मूल लागत ₹0-12, 77, 000.00 होती है, अतः यदि वर्ष 1987 की दर पर प्रतिकर का भुगतान किया जाये एवं मूल लागत पर 5 भवन की लागत ली जाये तो श्रीमती मीरा बक्शी द्वारा लखानउविकास प्राधिकरण को ₹0-7, 18, 600.00 का भुगतान

करना होगा। यह भी उल्लेख करना है कि अभिनिर्णय में घोषित दर के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो वह धनराशि लाखों में होगी तथा इस पर प्राधिकरण को हितबद्ध व्यक्ति को नियमानुसार आज तक का ~~का~~ ब्याज भी अदा करना होगा जो कि प्राधिकरण की वर्तमान दायनीय वित्तीय स्थिति को देखाते हुए फिलहाल सम्भव नहीं है। श्रीमती मीरा बक्शी ने समझौते के अन्तर्गत 72 भावना ^{मिनटों के अन्तर्गत 1.6 करोड़ है} दिनांक प्राधिकरण को विक्रय हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


6/12/96
CB

विषय: टिकैतराय आवासीय योजना में श्री चन्दिका प्रताप बर्मा की भूमि
खतरा सं०-33/5, 33/6, 33/7, 33/8 व 33/9 ग्राम कटरा खुदाबार
खॉ के अर्जन के बदले पाँच ताइट स्पड तर्वितेज के भूखण्ड व एक बड़ा भूखण्ड
आवन्टित करने के तम्बन्ध में ।

आख्या:

लखनऊ बिकात प्राधिकरण द्वारा टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत भूमि अर्जन के लिए धारा-4ब6 की विज्ञापितबाँ क्रमशः दिनांक: 27. 6. 87 व दिनांक: 6. 7. 87 को प्रकाशित की गयी थी तथा भूमि का स्बाई भी घोषित हो चुका है । इसी के अन्तर्गत कटरा खुदाबार खॉ के खतरा सं०-33/5, 33/6, 33/7, 33/8, व 33/9 क्षेत्रफल 3 बीघे का अर्जन किया गया था। इसी योजना के अन्तर्गत ल०वि०प्रा० द्वारा भवनों का निर्माण वर्ष 1987-88 में किया गया था तथा उक्त खतरा नम्बर पर 144 भवन निर्मित किये गये थे। हितबद व्यक्ति श्री चन्दिकाप्रताप बर्मा ने एवं भारतीय कितान बूनियन के तहबोग से मुआवजा न मिलने के कारणइन भवनो पर कब्जा कर लिया गया थाजो अभी भी है ।

अब श्री चन्दिका प्रताप बर्मा ने प्रार्थना पत्र दिया है जो तंजगनक है वे निम्न शर्तों के साथ प्राधिकरण से तमझौता करना चाहते है, उन्होंने कहा है कि उक्त शर्तों के आधीन वे उक्त भवनों का कब्जा छोड़ देगे एवं प्राधिकरण आवन्टियों को स्थल पर कब्जा दे तकेगा ।

1. उनकी भूमि का उचित मुआवजा उन्हें दे दिया जाये ।
2. 12 मी० मार्ग जित पर लगभग 10 वर्ष से वे अपना अस्थाई होटल चला रहे है उक्त भूखण्ड का आवन्टन उनके नाम कर दिया जाये ।
3. उनके हस्त किये गये भवन के बदले ताइट एवं तर्वितेज के पाँच भूखण्ड दे दिया जायें ।

उक्त के तम्बन्धा में उल्लेखकरना है कि टिकैतरायआवासीय योजना में इन भावनों का कब्जा ल०वि०प्रा० भारतीय कितान बूनियन केप्रतिशोधा के कारण काफी समय से नहीं दे पा रहा है, जितसे ल०वि०प्रा० की छवि धूमिल होने केसाथ-साथ आर्थिक क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में तमझौता करने में प्राधिकरण का हित ही प्रतीत होता है।

अभियन्त्रण विभाग द्वारा स्थल पर कुछ ताइट स्पड तर्वितेज के भूखण्ड रिक्त होने के तम्बन्धा में अवगत कराया गया है। मानचित्र साथ में


संलग्न है, अतः निम्नशर्तों के अन्तर्गत तमझौता करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के तमझा प्रस्तुत है:-

- १। श्री वर्मा को ताइट एण्ड तर्विजे के बाँच भूखण्ड प्राधिकरण की वर्तमान मूल्य पर आवन्तितकिये जायेगा
- २। जित स्थल पर श्री वर्मा द्वारा निर्माण करके टाबा चलाया जा रहा है उस जगह पर इनके बंधा में 250 वर्गमी० का भूखण्ड वर्तमान दर पर आवन्तित कर दिया जाय, परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि इसका उपयोग आवासीय ही किया जायेगा।
- ३। श्री वर्मा 9मी० रोड के एलाइनमेंट में निर्मित अपने पुराने भवन को तुरन्त हटा लेंगे।
- ४। इनके द्वारा 144 भावनों में किया गया कब्जा स्वेच्छा से तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।
- ५। बिन्दु-1 व 2 पर अंकित तम्बित्तियों की वर्तमान दर पर निकाली गयी लागत का तमायोजन इन्हें कुल देय प्रतिकर में से काटकर किया जायेगा। इसकी कटौती के उपरान्त यदि कोई प्रतिकर की धनराशि होगी तो उसका भुगतान इन्हें किया जायेगा।
- ६। जैसा कि श्री वर्मा सहमत हैं, इन्हें प्रतिकर का भुगतान घोषित एवार्ड के आधार पर ही किया जायेगा एवं तम्पूर्ण धनराशि में से बिन्दु-१ व २ पर अंकित तम्बित्तियों की लागत काट ली जायेगी।

उपरोक्त तमस्त कार्यवाही करते तमय प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व की जाँच करा ली जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही करने से प्राधिकरण के 144 भावन आवन्तन एवं कब्जा देने हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।

इसी तम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान तमय में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति खराब है एवं प्रतिकर आदि की धनराशि उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, अतः यदि तमझौता/अनुबन्ध कर लिया जाता है तो श्री चन्द्रका प्रसाद वर्मा को उनकी भूमि के प्रतिकर के रूप में जो धनराशि देय होगी उसमें बिन्दु-1 व 2 पर अंकित लागत का तमायोजन हो जायेगा एवं प्राधिकरण को बरोधा रूप से वर्तमान तमय में अधिक व्यय नहीं करना होगा।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


6/12/96

सेवा में,

उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

विषय- मुआवजा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि टिकैतराय आवासीय योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण लखनऊ ने अधिग्रहण की थी। उक्त भूमि पर वर्ष 1988 में भवन का निर्माण करा दिया गया था हमारी भूमि के खसरा नम्बर 33/5, 33/6, 33/7, 33/8 33/9 है उक्त भूमि कटरा खुदायार खों के अन्तर्गत आती है उक्त खसरा नम्बरों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के लगभग 90 भवन 1988 से बने हुए हैं मुआवजा विरोध के कारण भवनों का स्थल पर कब्जा नहीं हुआ है अतः इस समय हम स्वयं विकास प्राधिकरण से समझौता निम्न शर्तों के साथ करने को तैयार हूँ।

- 1- हमारी भूमि का उचित मुआवजा दे दिया जायें।
- 2- 12 मी० मार्ग जिस पर लगभग 10 वर्ष से हम अपना स्थाई होटल चला रहे हैं उस भूखण्ड का आबंटन मेरे नाम कर दिया जाये।
- 3- हमारे ध्वस्त किये गये भवन के बदले ^{एक} एक भूखण्ड दे दिया जायें।

अतः श्रीमान जी से उपरोक्त शर्तों के आधार पर हम समझौते के लिए तैयार हैं और विकास प्राधिकरण अपने आबंटितियों को कब्जा स्थल पर दे दे हमें कोई आपत्ति नहीं है उचित कार्यवाही हेतु मेरा प्रार्थना पत्र प्रेषित है।

प्रार्थी

चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

कटरा खुदायार खों

खालावाजार लखनऊ।

प्रतिलिपि=-

श्रीमान सचिव ल०वि०प्रा० को सूचनार्थ।

श्रीमान मुख्यअभिियंता, ल०वि०प्रा० को सूचनार्थ।

श्रीमान अनुसचिव, टि०प्रा० को सूचनार्थ।

चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 1996
का कार्यवृत्त

उपरिष्ठीति :

1. श्री देश दीपक वर्मा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3. श्रीमती सुरजीत कौर संधु आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4. श्री सुशील कुमार उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण।
5. श्री वीरेश कुमार विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन, आवास विभाग।
6. श्री ललित वर्मा उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।
7. श्री आर. प्रसाद अपर निदेशक,
उ.प्र. पर्यटन विभाग।
8. श्री सँजय भाटिया मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।
9. श्री वी.एस. माथुर मुख्य अभियन्ता,
उ.प्र. जलनिगम, लखनऊ।
10. श्री एम.पी. अनेजा वरिष्ठ नियोजक,
उ.प्र. नगर नियोजन विभाग।
11. श्री मधुसूदन रायजादा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या: 1 तत्कालीन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: तत्कालीन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 तत्कालीन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: गत बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या के बिन्दु-3 पर प्राधिकरण के कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या पर विचार विमर्श के समय शमन की कार्यवाही में ओर तेजी लाने के लिये तथा शमन से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि के लिये समुचित कार्यवाही के लिये निर्णय लिया गया।

यह भी निर्देश दिये गये कि सबसे सशक्त कार्य करने वाले दस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये जिससे कार्य में अपेक्षित सुधार हो सके।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या की समीक्षा के अन्तर्गत ही किराये पर उठी सम्पत्तियों के विक्रय के कार्य में ओर तेजी लाने के निर्देश दिये गये तथा लीज-प्लान बनाने में आवश्यकतानुसार ओर अधिक अधिकारियों को लगाने के निर्देश दिये गये।

किराये पर उठी सम्पत्तियों में जहाँ अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण हो, उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही में तेजी लाने तथा 31-12-96 तक सभी ईच्छुक क्रेताओं को लीज-प्लान अवश्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या: 3 तत्कालीन विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।

निर्णय: वित्तीय प्रगति की सही स्थिति की जानकारी के लिये विभिन्न मदों में आय के आकड़े प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें गत वर्ष भी आलोच्य अर्वाधि तक उस मद में होने वाली आय को दर्शाने के लिये निर्देश दिये गये, इसमें अनिश्चित सम्पत्तियाँ, अपूर्ण निर्माण या विकास कार्य तथा ऐसी भूमि जो बन्ने में है बिन्दु उसमें कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, उसका विवरण भी आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

किराये पर उठी सम्पत्ति के निरन्तरण की प्रगति भी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण एवं बकायों के विवरण के प्रपत्र-आठ 8/8 में आलोच्य वित्तीय वर्ष की बकाया धनराशि, अर्थात् बकाया किश्तों की धनराशि को दर्शाये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या: 4 अमर शाहीद पथ से गोगती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्रोजेक्ट पर विचार।

निर्णय: प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लागत-लाभ की गणना ठीक प्रकार से नहीं की गई है। सम्पूर्ण भूमि, जो अधिग्रहीत की जानी होगी, उसकी लागत इसमें ली जानी चाहिये थी। साथ ही फार्म-हाउस के लिये अधिक भू-भाग रखा जा सकता है। चूंकि फार्म-हाउस के लिये आन्तरिक विकास का कार्य अपेक्षाकृत कम होगा, अतएव इस विन्दु पर लागत भी कुछ कम हो सकेगी। अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर जो प्राविधानित किया गया है, उसका भी पुनः परीक्षण कर लिया जाये। तदनुसार प्रोजेक्ट वायविलिटी का अध्ययन करने के लिये किर्री कनसल्टेंट की सेवार्थें ले ली जाये। तत्पश्चात् प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाय।

विषय संख्या: 5 प्राधिकरण की ऐसी सम्पत्तियाँ जिनको प्रयास करने के बावजूद आरक्षित §रिजर्व§ कीमत पर निस्तारित नहीं किया जा सका उसके सम्बन्ध में कीमत को स्थिर§फ़ीज§ किये जाने पर विचार।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार फ़ीज की गई दर पर रिजर्व कीमत निर्धारित करके केवल नीतामी व्दारा ही किया जायेगा।

विषय संख्या: 6 प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में लीज भूमि को फ़ी-होल्ड में बदलने के लिये निर्धारित मूल्य के 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण की ट्रस्ट एवं योजनागत भूखण्डों/भवनों को फ़ी-होल्ड करने की जो प्रचलित व्यवस्था है वह 31 दिसम्बर, 1996 को समाप्त हो जायेगी। इसके उपरान्त नई व्यवस्था को अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

विषय संख्या: 7 विकास प्राधिकरण के नियमों में जिन विषयों पर कोई प्राविधान नहीं है, उन पर नेशनल बिल्डिंग कोड उस सीमा तक लागू किये जाने पर विचार कि उसके कोई प्राविधान विकास प्राधिकरण के किसी प्राविधान के विपरीत नहीं होंगे।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ ही शासन से भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में प्रेषित माडल उपविधियों को एडाप्ट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था के बाद भी यदि कोई विषय या विन्दु अनिर्धारित रहेगा तो उस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं वाग्विध नियोजक, उत्तर प्रदेश की समिति व्दारा अपनी आख्या एवं संस्तुति अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी, जो उसपर निर्णय लेने के लिये सक्षम होंगे और उनके निर्णय के उपरान्त निर्णय में निहित प्राविधानों को लागू कर दिया जायेगा।

- विषय संख्या: 8 प्राधिकरण की कालोनियों में सफाई व्यवस्था के लिये सफाई सरचार्ज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर विचार कर लें कि सरचार्ज की वसूली प्राधिकरण द्वारा सीधे की जायेगी या ठेकेदार के माध्यम से। चर्चा के दौरान इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि ठेकेदार से वसूली कराई जाये और ठेकेदार को देय धनराशि का समायोजन इस प्रकार वसूली जाने वाली धनराशि को काट कर किया जाये ताकि प्राधिकरण पर वित्तीय भार न पड़े। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप-रेखा बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।
- विषय संख्या: 9 बड़े भूखण्डों के मूल्य निर्धारण में इस समस्या को देखते हुए कि काफी क्षेत्र सड़क व अन्य सुविधाओं में निकल जाता है जबकि मूल्य पूरी भूमि पर निर्धारित किया जाता है अतः 1000 वर्गमीटर से बड़े नजूल भूखण्ड का प्राधिकरण को हस्तान्तरण होने पर उसे बल्क भूमि मानकर 50 प्रतिशत धनराशि शासन को और 50 प्रतिशत स्थल से जुड़े विकास कार्यों पर व्यय के लिये प्राधिकरण को दिये जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय: प्रस्ताव का इस निर्देश के साथ अनुमोदन किया गया कि नजूल भूखण्डों में विक्रय योग्य क्षेत्रफल कम होने के कारण विक्रय योग्य क्षेत्रफल जो लगभग 50 प्रतिशत होता है की गणना करके उसका मूल्य शासन में जमा कराया जाये। भूखण्ड के वास्तविक विक्रय से जो आय प्राप्त होगी उसमें से प्राधिकरण, भूखण्ड पर सड़कों आदि अन्य सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि इस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव आवास विभाग, उ.प्र. शासन ने भी सध्वान्तक सहमति दी।
- विषय संख्या: 10 श्री रंजय रावसेना, अवर वर्ग महायक, ल.वि.प्रा. के पुत्र मास्टर अर्थात् रावसेना के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- निर्णय: प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि कर्मचारी को उसके पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।
- विषय संख्या: 11 श्री पुलकेशन कुमार शिंह, अवर अभियन्ता, ल.वि.प्रा. के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।
- निर्णय: प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि कर्मचारी द्वारा उसकी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।
- विषय संख्या: 12 श्रीमती नृज किशोरी मुन्ता को भूखण्ड संख्या: 126/31, वी.एन.रोड पर होटल की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय: परिचालन से परित पूर्व प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
- विषय संख्या: 13 खसरा संख्या: 1056, 1059, निगला नगर, आई.टी.चौराहा के आवारतीय भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि इस भूखण्ड के लिये ग्राउन्ड कवरज 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1-2 & 120 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

विषय संख्या: 14 सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की स्थिति की सूचना पर विचार।

निर्णय: सूचनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार हुआ तथा यह निर्णय हुआ कि माननीय न्यायालय में भी पूरे तथ्य रखा दिये जाये व मा-न्यायालय के निर्णय के अनुसार अप्रिग कार्यवाही की जाये। राजकीय निर्माण निगम से या अन्य किसी एजेन्सी को कार्य सौंपे जाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये।

विषय संख्या: 15 हरदोई रोड योजना में ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स/प्रमोटर्स को भी निविदा देने की शर्त रखने पर विचार जो कुल 50.00 करोड़ की लागत का कार्य कर चुके हों या 50 एकड़ भूमि विकसित कर चुके हों।

निर्णय: प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रमुख सचिव आवास व्दारा शासन की ओर से सैध्वान्तिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि यह अनुमति ल.वि.प्रा. व्दारा हरदोई रोड योजना के लिये ही एक प्रयोग के रूप में मानी जायेगी और इसे अन्य मामलों में बिना शासन की अनुमति के लागू नहीं किया जायेगा।

विषय संख्या: 16 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज लण्ड में पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि पत्रकार उक्त भूखण्ड को 10 वर्ष तक विक्रय नहीं कर सकेंगे तथा बाद में विक्रय करने पर शासन व्दारा प्रदत्त सत्रासिडी को ब्याज राहित वापस लिया जायेगा जिसे शासन को वापस किया जाना होगा। एकरण पर कार्यवाही सूचना निदेशालय के माध्यम से होगी एवं शासन की सत्रासिडी मिलाने के बाद ही होगी।

विषय संख्या: 17 सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत अम्बेदकर नगर योजना का लगभग 58.6 एकड़ भूमि का कच्चा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रस्ताव की सैध्वान्तिक सहमति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि समझौते व्दारा निर्धारित मूल्य सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि पर लागू होगा। इस दृष्टि से उपाध्यक्ष व्दारा निर्देशित अधिकारियों की एक समिति प्रत्येक मामलों की समीक्षा करके, भूमि की श्रेणी/स्थिति तथा मूल एवार्ड में निर्धारित धनराशि की समीक्षा करके, आनुपातिक कटौती प्रस्तावित करेगी जिसके अनुसार भुगतान किया जायेगा।

विषय संख्या: 18 अवध अपार्टमेंट हेतु आर्किटेक्ट के चयन के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


विषय संख्या: 19 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।


निर्णय: बैठक के समय प्रस्तुत 16 प्रकरणों में, सलाह चार्ट के अनुसार एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये अनुमोदन इस निर्देश सहित प्रदान किया गया कि नियमानुसार देय के भुगतानोपरान्त किया जायेगा तथा विपुल लण्ड में समायोजन नहीं किया जायेगा। माध्यम में ऐसे प्रकरणों को हस्तान्तरित करने के निर्देश भी दिये गये।

- विषय संख्या: 20 दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क गाफ किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय: निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में एक नीति बनाई जाये और सभी पस्त्रावों का परीक्षण उसके अन्तर्गत करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये।
- विषय संख्या: 21 श्री देवराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद, उ.प्र. को आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-5/71, विनीत सण्ड का मूल्य आसान किशतों में लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।
- विषय संख्या: 22 रायचौरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्र पर आरोपित मलवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।
निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 23 गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में व्यवसायिक/होटल के लिये निर्धारित भूखण्ड के लिये एफ.ए.आर. में परिवर्तन।
निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ग्राउन्ड कवरेज 35 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 2.00/200 प्रतिशत की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या: 24 मन्दी स्टेरी कार्मिशियल काम्प्लेक्स में भूतल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना।
निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 25 गोमती नगर योजना के विवेक राण्ड-2 में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड को व्यवसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय: प्रस्ताव पर चर्चा के समय आगन की अनुमति के विन्दु पर प्रमुख मंत्रि, आवास व्दारा अवगत कराया गया कि क्योंकि सम्पत्ति आवंटित हो चुकी है, अतः शासन की अनुमति वाञ्छित नहीं है। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दर के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि नर्सिंगहोम को दर आवासीय की डेढ़-गुना एवं व्यवसायिक की दो-गुना होती है तदनुसार अवशेष धनराशि ले ली जाये। ऐसे प्रकरण हतोत्साहित भी किये जायें।
- विषय संख्या: 26 टिकैतराय आवासीय योजना में श्रीमती मीरा चवशी के विवादिन भूमि का समायोजन।
निर्णय: प्रकरण में निर्णय के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तत्काल विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिसके समक्ष प्राधिकरण व्दारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे और उक्त समिति व्दारा प्रश्नगत प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।


विषय संख्या: 27 दिनेश्वरराय आवारीय योजना में श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा की भूमि संख्या: 33/5, 33/6, 33/7, 33/8 व 33/9 साम कटरा सुदायार से के अर्जनके बदले पोट साइट पेण्ड सर्विसेज के भूखण्ड व एक बड़ा भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रकरण में निर्णय के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तसनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिनके समक्ष प्राधिकरण द्वारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे और उक्त समिति द्वारा पश्नगत प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।


§ महेश्वरी रायजादा §
सचिव


§ दिनेश वर्मा §
उपाध्यक्ष

अ नु भो वि त


§ दिनेश दीपक वर्मा §
अध्यक्ष, तसनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, तसनऊ मण्डल,
तसनऊ।

एक योजना में जापट्टेद समिति के स्थान पर दूसरी योजना में समिति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	जापट्टे का नाम	योजना का नाम जहाँ समिति जापट्टेद है	समिति का प्रकार तथा जापट्टेद पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन का जापट्टेद द्वारा वर्णित कारण
1	2	3	4	5	6
1.	डू. सुपना श्रीवास्तव	जलीगंज योजना	भूखण्ड सं:सी-155/ई वर्ष 90 में जापट्टेद	गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड।	कृपया न दे पाने के कारण।
2.	श्रीमती मीना सिंह	दिक्रेतराय योजना	भवन सं:डी-642/2 लाटरी पध्दति से जापट्टेद।	कानपुर रोड सेक्टर "जाई" में भवन	कृपया न दे पाना
3.	श्री सुनील कुमार शर्मा	सीतापुर रोड योजना	भूखण्ड सं: :3/157 लाटरी पध्दति	गोमती नगर योजना में भूखण्ड।	मा. लोकजापुक्त के जापट्टेदनुसार
4.	डा. मंगीता	दिक्रेतराय योजना	भवन सं:सी-359/2 नाम परिवर्तन द्वारा	कानपुर रोड योजना	कृपया न दे पाना

जब योजना में आवंटित सम्पत्ति के खन पर इसी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्र. सं.	आपत्ति का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवंटन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन का आपत्ति द्वारा वर्णित कारण
1	2	3	4	5	6
5.	श्री आर. सी. श्रीवास्तव	शाखा नगर योजना	भूखण्ड सं: स-2/7 लॉस खण्ड-1, लाटरी पध्दति।	गोमती नगर योजना	भूखण्ड उपयुक्त नै होना।
6.	श्री नाबखंडेय सिंह	जलीगंज योजना	भूखण्ड सं: वी-2/ओ 21.5.87 लाटरी आवंटित।	गोमती नगर योजना में भूखण्ड	भूखण्ड उपयुक्त नै होना।
7.	श्रीमती तनूजा सोमवंशी	शाखा नगर रायवरेला रोड	भूखण्ड सं: वी-1/566 राम खण्ड, केशा डाउन	गोमती नगर में भूखण्ड	
8.	श्री धर्मेश्वर सिंह	गोमती नगर योजना	भूखण्ड सं: एल.आई.जी 5/956, लाटरी प.	गोमती नगर में भूखण्ड	पिता की बीमारी के कारण सीढ़ी चढ़ने में ठिककत।

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के खान पर उसी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	आयुक्त का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आयुक्त पश्चात्	योजना जहाँ परिवर्तन आवंटित है	परिवर्तन का आयुक्त द्वारा व्यक्त कारण
1	2	3	4	5	6
9.	श्री सुमन	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स०:1/216 राशम खण्ड, लाटरी प.	गोमती नगर योजना	} विकास कार्य न होना।
10.	श्री तेजकिशन रस्तोगी	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स०:1/348 राशम खण्ड,	गोमती नगर योजना	
11.	श्री दुर्गाप्रसाद बाजपेयी	अलीगंज योजना	भूखण्ड स०:सी-75 सेक्टर "ओ"	गोमती नगर योजना	
12.	श्रीमती मनोरमा सिंह	जानकीपुरम योजना	भूखण्ड स०:2/914 सेक्टर -एच	गोमती नगर योजना	कच्चा न दे पाना।
13.	श्री उमेश सेठ	अलीगंज योजना	भूखण्ड संख्या:सी-59 सेक्टर-ए, गोमतीनगर से परिवर्तित	गोमती नगर योजना	कच्चा न दे पाना।
14.	श्री जगदीश मिश्रा	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स०:1/26 राशम खण्ड, नकद भु.	गोमती नगर योजना	उपयुक्त न होना।
15.	श्रीमती विनोद तिवारी	शारदा नगर योजना	भू.स. :1/85 राशम, नकद भु.	गोमती नगर योजना	अनउपयुक्त
16.	श्री एन.के. श्रीवास्तव	शारदा नगर योजना	भू.स. :वी-3/334 राशम खण्ड।	गोमती नगर योजना	अनउपयुक्त